आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/- ₹

अप्रैल 2021

क्रान्ति

मासिक



लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर मंडराते ख़तरे

With Best Compliments From



HINDUSTAN INDUSTRIES

MANUFACTURING UNIT FOR PAVERS, TILES & BLOCKS

AT

Plot No. S-2, COLVALE INDUSTRIAL ESTATE
COLVALE, BARDEZ, GOA, INDIA

HEAD OFFICE

NH-17, Kraswada, Mapusa, Goa
Ph.: 22577900, 2257793, 2257700
www.hindustangroupgoa.com

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
रेहान मुबारक शैख़
+91 9699352114

सहयोग राशि
एक प्रति 25/- रु० वार्षिक 270/- रु०
दो वर्ष 500/- रु० पांच वर्ष 1100/- रु०
आजीवन 6000/- रु०
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/-रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए संपर्क करें :

कार्यालय:
कांति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न०
+91 8920589292

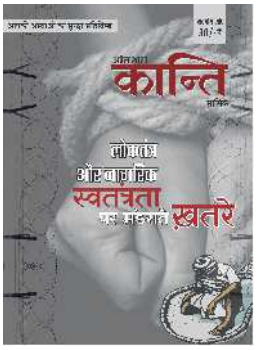
Account Detail
NAME: KANTI
A/C NO: 0990839195
IFS CODE: IDIB000J029
TYPE: CURRENT
BANK: INDIAN BANK
BRANCH: JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI - 110025

चेक/ ड्राफ्ट '**कांति**' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), डी-314 दावत नगर, अबुल फज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफसेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली -110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णता: प्रतिबंधित है।

वर्ष 30 अंक 10 अप्रैल 2021



मूल प्रश्न 04
सांप्रदायिक नफरत और हिंसा
शिब्ली अरसलान

पाठक का मोर्चा 06
संपादन प्रभाग

चिंतन 07
अपनी आँखें खोलिये
डॉक्टर उमैर अनस

सौंदर्यबोध 09
घर में बिखरी हुई चीज़ों
मसीहुज़्ज़मा अंसारी

मुख्य स्तम्भ 11
लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता
डॉ नफीस अख्तर

अभिव्यक्ति के खतरे 15
संस्थानों का रिफॉर्मेशन और मानव संवेदनशीलता
मुत्तलिब मिर्ज़ा

विशेष 18
निजी स्वतंत्रता पर चोट है
डॉक्टर राम पुनियानी

आंखन देखी 21
किसान आंदोलन
सुरेन्द्र पाल सिंह

जन-गण-मन 24
स्वतंत्र आलोचना के लिए तंग होते दायरे
मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

नारी विमर्श 27
मर्दवादी बैलेंस बनाम नारी सशक्तिकरण
हुमा मसीह

इबारत 29
देश का भविष्य निर्धारित करेगा किसान
विजय चावला

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

इस अंक में

समर शेष है 32
आईसीयू में लोकतंत्र
मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

चुनावी राजनीति 34
पश्चिम बंगाल चुनाव:
मोहम्मद करीमुद्दीन

समाज 37
दहेज की समस्या और भारतीय संस्कृति
अख्लाक अहमद

अध्ययन चर्चा 39
शब्दों के साथ सत्याग्रह
अबू अनीका

सोशल अड्डा 40
बोलने की क़ीमत
संपादन प्रभाग

करियर 42
हिन्दी भाषा के क्षेत्र में भविष्य
संपादन प्रभाग

रिपोर्ताज़ 43
ओल्ड ब्वॉय सम्मिट
राशिद अनवर

सफ़र है शर्त 45
केरल में रहते हुए...
शहबाज़ अंसारी

आख़िरी पन्ना 50
शिब्ली अरसलान

सांप्रदायिक नफरत और हिंसा: बौद्धिक चुनौती की समझ ज़रूरी

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा के एक साल होने पर,मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्टों और बहसों ने वाकई हर संवेदनशील इंसान का दर्द ताज़ा कर दिया है.पिछले वर्ष मार्च के शुरू में एक डेलिगेशन के साथ,मैं भी खजुरी खास और चाँद बाग़ की गलियां घूम आया था,वो ज़ख्मी यादें फिर से हरी हो गई हैं..जैसे किसी ने घाव पर पड़ी पपड़ी नोच डाली हो...बेहद हृदयविदारक हैं वो यादें..

'इंसानों को अपने हाथों से क़त्ल करने का तजुर्बा कैसा होता होगा,मै तो अपने छात्रों को तेज़ थप्पड़ लगा कर बहुत शर्मिंदा होता हूं...सर फोड़ना, किसी के जिस्म को काट डालना, कैसा लगता होगा..! किसी असहाय का जान की भीख मांगने पर भी उसे ना बख़्शना, क्या ऐसे लोग भी हमारी तरह इंसान होते होंगे...! किसी के आशियाने और बसेरे को जला डालना, उजाड़ देना कैसे मुम्किन होता होगा किसी इंसान से..! नालों में कटी फटी लाशों को देख लेने पर क्या गुज़रता होगा दिल की दुनिया पर...! क्या किसी दंगाई की दास्तान-ए-हकीकत सुन पाना, मुमकिन होगा मुझ जैसों के लिए...! दिल्ली नरसंहार पर इंसानियत को डिफेंड करना कितना मुश्किल है आज!'

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रभावित इलाके से लौटने के बाद,डायरी के किसी गोशे में,मैंने ये तहरीर किया था तब..इण्डिया टुमॉरो के सह सम्पादक मसीहुज़्ज़मा अंसारी ने दिल्ली हिंसा के एक साल पूरा होने पर प्रभावित इलाकों का दौरा कर के एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है,रिपोर्ट का एक अंश देखें ..."...प्रभावित परिवारों में अधिकतर के घर दोबारा बन गए, घरों की मरम्मत हो गई, रंग व रोगन हो गया मगर दंगों ने उनके दिलों पर जो ज़ख्म दिया है,वो अब भी ताज़ा है,उसे याद करते हुए वह भावुक होने लगते हैं ।बहुत से दंगा पीड़ित जो बुरी तरह घायल थे अब भी इस स्थिति में नहीं हैं कि वह कोई काम कर सकें। कई घायलों का कहना है कि मुआवज़े की रक़म दवा और इलाज में ख़त्म हो गई, मगर अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो सके। जिस घर के कमाने वाले घायल हुए थे उनका गुज़ारा अब भी मुश्किल है।दंगा प्रभावित इलाकों में घायल परिवारों से मिलकर यह बात सामने आई कि अब भी कई पीड़ित ऐसे हैं जिनको ठीक होने में एक और साल लग जाएगा। यह ऐसे पीड़ित हैं जिनका हाथ या पैर तोड़ दिया गया था। कई घायलों के हाथ या पैर की हड्डी टूट जाने के कारण रॉड डाला गया है जो अब भी सामान्य स्थिति में नहीं हैं।कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में लोग मारे गए ,घायल हुए और घर जला दिए गए, ऐसे घर के सदस्य घायलों के इलाज, घर की मरम्मत में परेशान हैं। इसलिए कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना नहीं चाहता। पीड़ित परिवार इतने डरे और हालात से तंग हो गए हैं कि मारे गए या घायल हुए अपने परिवार के सदस्यों के न्याय की लड़ाई में अब उनकी दिलचस्पी नहीं रही"

क्या दिल्ली दंगा, भारतीय इतिहास का पहला दंगा है? क्या दिल्ली दंगे से अधिक विभत्स, भयावह और पूर्वनियोजित दंगे इस देश में नहीं हुए?जवाब है -बिल्कुल हुए..इस से



शिब्ली अरसलान

ज़्यादा ख़तरनाक, इससे अधिक पूर्वनियोजित.. इससे अधिक आग व ख़ून की होली खेली गई है इस देश में.1984 और 2002 की तुलना तो किसी से नहीं हो सकती.. ये ज़ख्म बस नया नया है,एक साल पूरा होने पर दर्द दोबारा उभर आया है. हर दंगे और नरसंहार के बाद, हम शायद यही समझते रहे कि ख़ून पिपासुओं की प्यास बुझ गई होगी अब, सद्भावना जुलूस और शांति प्रयासों के इवेंट्स देख कर हम इस खुशगुमानी में भी जीते रहे कि इंसानियत अब ज़िंदा हो जायेगी.कभी दो दंगों के मध्य गैप देख कर धोका होता रहा, जैसा कि मुज़फ्फरनगर के बाद एक गैप दिख रहा था मगर ख़ून के प्यासों ने नया मॉड्यूल ढूंढ निकाला था, जो नया नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन है. कमज़ोरों पर भीड़ का हमला, ये हमले घर में घुस कर, ट्रेनों में, खेतों में, रास्तों पर कहीं भी हो रहे थे... साम्प्रदायिक हिंसा और नरसंहार की इन घटनाओं के बाद हम तात्कालिक चीख़ो पुकार मचा कर खामोश हो जाते हैं. वास्तविकता ये है कि ये घटनाएं,त्वरित या स्वस्फूर्त घटनाएं नहीं हैं. ये 'संयोग' नहीं, एक सुनियोजित 'प्रयोग ' है.अतः लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट-कचहरी इसे हल नहीं कर सकते.ये सभी सुनियोजित-प्रायोजित घटनाएं हैं.एक 'नफ़रती विचारधारा' ने वर्षों नफ़रत की खेती की है,अब वो सामाजिक-राजनीतिक तौर पर देश की बड़ी सच्चाई है. इसे समझना होगा. हम ग़फलत में सोते रहे और इस नफ़रती विचारधारा के लोग योजनाबद्ध एंव सुसंगठित तरीक़े से काम करते रहे.उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ढेरों एनजीओज़ एंव आउटफिट्स स्थापित किए, लाखों स्कूल्स एंव संस्थान खोले. पत्र-पत्रिकाएं जारी कीं. साहित्य एंव कला के मैदानों का भरपूर इस्तेमाल किया गया.सूचना प्रौद्योगिकी की ताक़त झोंकी गइ.बच्चों के टेक्स्टबुक डिज़ाइन किए गए.नइ नस्ल की ज़ेहनी तब्दीली के लिए पूरा पैकेज बनाया,उसे पूरी कार्यकुशलता के साथ लागू किया.पढ़े-लिखे औसत ज़ेहन को ज़हर-आलूद करने के लिए शाखाएं एंव कार्यशालाएं चलाइं.मज़हब को उसकी रूह से काट कर मज़हबी अफीम का पुड़िया तैय्यार करके जज़्बाती लोगों को ये पुड़िया चटाया और फिर इन बदमस्त लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए भरपूर प्रयोग किया गया.संस्कृति और संप्रदाय को 'ख़ुदा' बना दिया गया.संस्कृति और संप्रदाय के कुछ सिम्बल गढ़े गए,इस पर जीने-मरने की क़सम खिलवाइ. दीर्घकालीन राजनीतिक हित के लिए दुश्मन गढ़े गए और फिर 'सब मिल कर भीतरी दुश्मन को कुचलो' का चैलेंज पेश किया गया.जर्मनी,चाइना,रूस आदि देशों का अपने भीतरी दुश्मन को कुचल कर विकास यात्रा आगे बढ़ाने की कहानियां बनाइ एंव प्रचारित की गइं.क्या क्या ना किया गया.....और इसके मुक़ाबले के लिए अधिक्तर विधवा विलाप. . खाए-पिए-अघाए शहरी लिबरल लोगों का बड़े शहरों के एक मख़सूस स्थान पर विरोध प्रदर्शन, मेमोरंडम, काली पट्टी और नारेबाज़ी. अब एक और प्लेटफार्म का इज़ाफा हो गया है, सोशल मीडिया... फासीवाद का भारतीय संस्करण बहुत पुख़्ता,क्लीष्ट और डीप रूटेड है... इसलिए भारतीय फासीवाद, एक वैचारिक-बौद्धिक चैलेंज भी है..इसने मज़हब का आवरण ओढ़ रखा है..मज़हब को उसकी रूह 'ख़ुदापरस्ती और इंसान-दोस्ती' से काट कर बड़ी 'दानिशमंदी' के साथ संस्कृति और मातृभूमि को 'मज़हब' से जोड़ दिया गया है...इसलिए फासीवाद का विरोध करते हुए शब्द,वाक्य और नारे ऐसे हों जो मज़हब और मज़हबी जज़्बे पर चोट ना हो...उदाहरणस्वरूप 'गो रक्षा' पर कोइ ऐसी बात ना हो जिससे मज़हबी जज़्बा चोटिल हो,चिढ़ की मानसिकता पैदा हो,सोशल मीडिया और वाट्सएप जैसे खुले मंच पर हमारे युवा ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रात-दिन दिशाहीन और बुद्धिहीन विरोध-प्रदर्शन में लगे हुए हैं, जिस्से केवल चिढ़ की मानसिकता डेवलप हो रही. ये अप्रोच और रवय्या एंटी-इस्लामिक भी है जिसका कोई ख़याल 'मिल्ली वीरों' को नहीं है....इस विषय पर कुछ और बातें अगले संपादकीय में...

> **"फासीवाद का भारतीय संस्करण बहुत पुख़्ता,क्लीष्ट और डीप रूटेड है...इसलिए भारतीय फासीवाद,एक वैचारिक-बौद्धिक चैलेंज भी है..इसने मज़हब का आवरण ओढ़ रखा है..मज़हब को उसकी रूह 'ख़ुदापरस्ती और इंसान-दोस्ती' से काट कर बड़ी 'दानिशमंदी के' साथ संस्कृति और मातृभूमि को 'मज़हब' से जोड़ दिया गया है...इसलिए फासीवाद का विरोध करते हुए शब्द,वाक्य और नारे ऐसे हों जो मज़हब और मज़हबी जज़्बे पर चोट ना हो..."**



पाठक का मोर्चा

अहम् सुझाव

कान्ति के नये रूप को देखकर,यह सहजता से अनुभव हो जाता है कि सभी स्तर पर इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहें हैं और लेखकगण एवं कॉलमनिस्ट अपने ओजस्वी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहें हैं, लेकिन निज अनुभव के आधार पर इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फ्रिलांसर पत्रकार अथवा प्रेमवश या सामाजिक दायित्व के आधार पर पत्रकारिता करने वालों के समक्ष भरपूर चुनौतियां रहतीं हैं, विशेषकर जब उन्हें शीर्षक का चयन करना पड़ता हैं और चयनित शीर्षक के अन्वेषण की ओर अग्रसर होने के दौरान सबसे बड़ी समस्या संसाधनों के अभाव में साक्ष्यों को एकत्र करने में होती है और कम समय में किसी पक्ष की पुष्टि कर पाना और किसी स्वीकार्य-सैद्धान्तिक रूप का निर्धारण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कुछ निम्नलिखित निवेदन सादर प्रेषित हैं। आशा है कि इसे संज्ञान में लेंगे।

(1) सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक विषयों में शीर्षक का चयन स्वयं करें और विषय विशेषज्ञों से विमर्श के पश्चात् उपयुक्त लेखक को आवश्यक दिशा-निर्देश दें और उनसे निरंतर संपर्क में रहें।

(2) अमूमन नये संस्करण का कार्य महीने की बीस तारीख तक संपन्न हो जाता है, इसलिए यह संभव है कि आगामी अंकों की रूपरेखा और लेखकों के लिए मार्गदर्शन पच्चीस तारीख तक प्रेषित किया जा सकता है, इस आधार पर स्थिति बहुत स्पष्ट होगी और लेखकों को समय अधिक मिलेगा।

जुनैद अली
सतना, मध्य प्रदेश

निडर पत्रकारिता

असत्य के इस दौर में सच लिखना और बोलना बहुत कठिन हो गया है। इस दौर में पत्रकारों के कलम पर बहुत दबाव है कि वे सच न लिखें, परन्तु आज मासिक 'कान्ति' जैसी पत्रिका के लेख 'लोकतंत्र' में अभिव्यक्ति की ताकत को सही साबित करते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों में भारतीय लोकतंत्र जैसी हिम्मत और सच्चाई देखने को मिलती है। कहने को देश आज़ाद है, लेकिन सत्ता, सामंतवादी और असमाजिक तत्व सच्चे शब्दों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। यह सराहनीय है कि पत्रिका बिना किसी भय और दबाव के अपनी बात रखती है। इसके लेखों में हर विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश होती है। पत्रिका के लेखों से उन लोगों को काफी हिम्मत मिलती है जो सच लिखना चाहते हैं।

नजमा बज्जा
नूह, हरियाणा

ईश्वर एक है

ईश्वर एक है। वह असीम और अनन्त है। वही जग का पालक, जग संचालक, जग निर्माता और जग संहारक भी है। अर्थात वह रहीम, कबीर और क़हार है। उसने हम मानव जाति को उन तमाम नेमतों से नवाज़ा, जिसकी इच्छा इंसान को प्रकृति के आरम्भ से रही।

ईश्वर हमारे सबसे क़रीब है। इतना कि वह यह भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, जबकि हम ईश्वर या अल्लाह को इस तरह खोजते हैं जैसे मृग कस्तूरी को। ईश्वर को खोजने या उस तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए विश्व के तमाम समुदायों तक ईश्वर के संदेशवाहक अथवा पैगम्बर आए। उन्होंने अनगिनत तथ्यों, तर्कों और शिक्षाओं के ज़रिए इंसानों के भीतर की जिज्ञासाओं और आकांक्षाओं को शांत करने के लिए सारगर्भित तर्क प्रस्तुत किये, जिनका अनुसरण करके इंसान ईश्वर की कृपा और समीपता प्राप्त कर सकता है।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) के ज़रिये जो अल्लाह का पैग़ाम सभी इंसानों तक पहुंचा वह बेमिसाल है। इन शिक्षाओं से परिपूर्ण 'कान्ति' मासिक के दिसम्बर 2020 के अंक में प्रकाशित 'पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) की शिक्षाओं में सभी वैश्विक, लौकिक एवं पारलौकिक समस्याओं का समाधान निहित है' रचना में तथ्यात्मक ढंग से बात पेश की गयी है।

इतनी शानदार और बेमिसाल शिक्षाओं और जानकारी को हम पाठकों तक पहुंचाने के लिए संपादक महोदय तथा लेखक महोदय को दिल से शुक्रिया।

महेश कुमार
समस्तीपुर, बिहार

चिंतन

अपनी आँखें खोलिये:
दोआन जुजेलओलु

डॉक्टर उमैर अनस
अंकारा येल्दीरीम बेज़ित विश्वविद्यालय, तुर्की

दोआन जुजेलओलु तुर्की के मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। बचपन में ही मां के देहांत ने उनपर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाला था। कई दिन अपनी माँ का इन्तिज़ार करते रहे। उनको नहीं पता था कि मौत का क्या मतलब है। मरने वाला दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, यह जानने के बाद वह बहुत गहरे सदमे में चले गए। उस दबाव से बाहर निकले तो खुद एक मनोवैज्ञानिक बन कर निकले। पिछले महीने उनका घर में फिसल कर देहांत हो गया। सचमुच में, एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उनके सैंकड़ो लेक्चर और दर्जनों किताबें तुर्की की बेस्ट सेलर हैं। बग़ैर ज़ुबान जाने भी कोई लेक्चर सुनेगा तो लगेगा की आपसे ही बात कर रहे हैं। अस्सी साल के थे। एक मनोवज्ञानिक वर्कशॉप में उनकी और काउंसलिंग के लिए आये लोगों के बीच एक बातचीत का अनुवाद पेश है।

जुजेलओलु: दोस्तों! क्या आप में से किसी को कोई घातक बीमारी है?

एक व्यक्ति: भगवान का शुक्र है, प्रोफेसर! जहाँ तक हम जानते हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है हमें।

जुजेलओलु: बहुत अच्छा! ठीक है, आप बताइये कि क्या छह अरब इंसानों में से कोई अपने भविष्य की कोई ऐसी बात बता सकता है जिसके होने में कोई शक नहीं है?

एक व्यक्ति: जी, मौत हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना है जिसके बारे में हर इंसान पूरी तरह से विश्वास करता है कि यह होकर रहेगी।

जुजेलओलु: बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मृत्य हर हाल में होनी है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई घातक बीमारी होकर भी मौत आ सकती है? अच्छा जब ये साफ़ है कि हम ज़रूर मरेंगे तो क्या हम बता सकते हैं की हम कब मरेंगे?

एक व्यक्ति: नहीं

जुजेलओलु: क्या हम अगले कुछ मिनटों में भी मर सकते हैं?

एक व्यक्ति: बिल्कुल मुमकिन है

जुजेलओलु: क्या कल भी मर सकते हैं?

एक व्यक्ति: बिल्कुल।

जुजेलओलु: 30 साल बाद?

छात्र: यह भी सम्भव है।

जुजेलओलु: अच्छा क्या आपको पूरा विश्वास है कि आज शाम को आप सही सलामत घर पर होंगे? हॉल में बैठे सब लोग ख़ामोशी से सुनते रहे क्योंकि पहले कभी इस तरह के सवालात उनसे नहीं किये गए थे।

जुजेलओलु: ठीक है, चलो इसके ठीक उल्टा सोचकर देखिये। क्या इस बात की गारंटी है कि जब आप सुबह घर से निकलते वक्त जिन परिजनों को अपने पीछे ठीक ठाक छोड़ कर गए थे, उनसे शाम को दोबारा गारंटी के साथ मिल पाएंगे।

एक ट्रेनी: नहीं, सर।

जुजेलओलु: क्या इस बात की गारंटी है कि अब से कुछ पलों में आपका फोन बजेगा और उधर से आपके परिवार में किसी के मरने की सूचना आजायेगी? अब हॉल में बैठे ट्रेनी और स्टूडेंट्स परेशान होने लगे। किसी ने कहा सर थोड़े अलग विषय पर बात की जाए तो अच्छा है।

जुजेलओलु: हम सबसे सरल और





सबसे स्पष्ट सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर और कर लेते हैं? ठीक है? अच्छा अगर आप को पिछली रात को ही मालूम हो जाए कि कल आपके परिवार में एक सदस्य की मौत हो जाएगी तो क्या आप अगला दिन वैसे ही गुज़ार पाएंगे या सब कुछ बदल जाएगा?

एक छात्र: बहुत ही बदल जाएगा, पूरी दिनचर्या और दिमागी हालत भी।

जुजेलओलु: अच्छा अब आप कुछ देर के लिए अपनी आँखें बंद कर लें और सोचें कि आपके परिवारजनों में कल एक नहीं रहेगा। आपकी यह रात कैसे गुज़रेगी ? क्या आज रात भी रोज़ाना वाली बातें कर पाएंगे ? क्या आप रोज़ाना वाले सारे काम कर पाएंगे? क्या रोज़ाना वाले कोई काम आपको तनाव में या किसी से झगड़ा करने का मौका देंगे? या आपको बाकी सारे काम बेकार महत्वहीन लगने लगेंगे ? और जब आप घर से निकलेंगे , उस व्यक्ति को आख़िरी बार देख कर क्या कहेंगे या क्या सोंचेगे? क्या आप उसको गले लगाएंगे या नहीं ? क्या उसको यह बताने में ज़रा भी संकोच करेंगे कि आप उसको कितना प्यार करते हैं? अब क्लास में कुछ लोग सचमुच में बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ तो रोने लगते हैं। कल उन्होंने जो कुछ किया और अब तक उन्होंने जो किया है उन सबके बिल्कुल महत्वहीन होने को उन्होंने कभी इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया था।

जुजेलओलु: अपनी आँखें खोल लीजिये। हैरत है कि हम लोग रोज़ाना कितने फ़िज़ूल की बहसें, लड़ाइयां और काम करते हैं। जब तक हमें महसूस नहीं होता है कि हमारा जीवन कितना टेम्पोरेरी है हम गलत करते रहते हैं और जैसे ही पता चलता है कि हम मरने वाले हैं, हम पूरी तरह से बदलने लगते हैं। सबसे माफ़ी मांगते हैं। सबको प्यार जताते हैं। किसी को दुख देने का दिल नहीं करता। अपनी ज़िन्दगी में हमने कितनी चीज़े, कितने रिश्ते, कितने काम बिगाड़ रखे हैं ? उन सबको ठीक करने का हमें वक्त मिलने वाला है क्या? दोआन जुजेलओलु जब अमेरिका से पढ़ कर वापस तुर्की आये तो लिखा कि अमेरिका में कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी गैर पढ़े लिखे इंसान के साथ एक रूम में नहीं रह सकता क्योंकि पढ़े लिखे इंसान को गैर पढ़े लिखे इंसान से बहुत डर लगता है। कहीं वह उसको किसी छोटी सी बात पर न मार डाले। वहां शिक्षा और शहरीकरण ने ही नई और अच्छी तहज़ीब बनाई है। लेकिन जब तुर्की में शिक्षा और शहरीकरण शुरू हुआ तो लोग डरने लगे क्योंकि शहरों में क्राइम होने के ज़्यादा डर थे। पढ़े लिखे लोगों की तरफ से अपराध होने का ज़्यादा डर होने लगा था। शहरों में लोग एक दूसरे से डरते थे। लेकिन उस समय भी तुर्की के देहात में एक बूढ़ी और बिल्कुल अनपढ़ औरत भी यही कहती थी कि किसी को नाहक मत सताओ। किसी का हक़ न मारो। किसी भी इंसान को मत मारो। तुर्की के गाँव में ऐसा इसलिए था क्योंकि तुर्की में शहरीकरण और मॉडर्न शिक्षा से पहले भी सभ्यता थी। और लोग उस सभ्यता के उसूलों के मुताबिक़ एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। उनकी किताबें अगर हिंदी में अनुवादित होती हैं तो भारत के सैकड़ों परिवारों और युवाओं को भी ज़िन्दगी के नए और अनछुए पहलु से सोचने का रास्ता मिलेगा।

सौंदर्यबोध



घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए

मसीहुज़्ज़मा अंसारी
सह-संपादक, इंडिया टुमारो
दिल्ली

जिस समाज में हम रहते हैं उसे ख़ूबसूरत बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी ही है. हम में से हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इसे ख़ूबसूरत बनाए. इसके लिए किसी ख़ास विचारधारा, खास जाति और धर्म का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि आप का इंसान होना और मन मस्तिष्क का सुंदर होना काफी है. जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समाज की ख़ूबसूरती में बिगाड़ पैदा करते हैं, एक दूसरे पर बुरे होने का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे से समाज को ख़तरा बताते हैं और धीरे-धीरे हमारी सुंदरता में सड़ान्ध जन्म लेने लगती है और फिर..... फिर हम किसी दूसरे समाज को 'सड़ा हुआ समाज' कहने लगते हैं जो कि हमारी सोच को दर्शाता है. किसी समाज को सड़ा हुआ कहना न तो नैतिक रूप से सही है, न संवैधानिक रूप से और न ही इस्लामी सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा कहना सही है. जिस समाज में हम बरसों से रहते आए हैं यदि वो आप के अनुसार 'सड़ा हुआ समाज' है तो फिर इस सड़ान्ध के दोषी हम और आप भी हैं. अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने की चालाकी हरगिज़ न करिये. हमारी या आप की सिस्टम से नाराज़गी हो सकती है लेकिन सिस्टम से नाराज़गी के कारण किसी समाज को सड़ा हुआ कहना समाज में ज़हर घोलने के सिवा कुछ नहीं है. जब हम किसी की आलोचना करें तो यह ध्यान रहे कि शब्दों की शालीनता बरकरार रहे. आप के शब्द ही आप की सोच और आप के सिद्धान्तों की नुमाइंदगी करते हैं. जब आप अपने शब्दों से ख़ुद की बेहतर नुमाइंदगी नहीं कर पाते तो अपने विचारों से समाज और देश की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? किसी व्यक्ति या समूह के जीवन में विषम या विपरीत परिस्थितियां आती हैं. अन्याय और छले जाने का आभास होता है लेकिन इसका मतलब हर्गिज़ यह नहीं है कि हम इसके लिए दूसरे समाज या अन्य वैचारिक, धार्मिक समूह को इसका ज़िम्मेदार मानते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करें. उन्हें अपशब्द कहें और उन्हें सड़े हुए समाज की संज्ञा दें. देश और समाज को सुंदर बनाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाए एक दूसरे के साथ विश्वास की भावना को बढ़ाया जाना चाहिए, एक दूसरे की अच्छाइयों को खुले मन से स्वीकारना चाहिए और अपनी-अपनी ख़ामियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. अपने घर को और लोगों को ख़राब कह कर हम घर के माहौल को बेहतर नहीं बना सकते. निदा फ़ाज़ली के शब्दों में:

अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए
घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए



जब हम दूसरों की बुराइयां करने पर आएंगे तो हमें हर बात में कमी और षड़यंत्र दिख जाएगा. शहर और मोहल्ले की गंदगी में भी दुश्मन और साज़िश के पर्दे दिखाई देने लगेंगे मगर जब हमारी नज़रों पर पड़ा यथार्त का पर्दा उठेगा तो यह आभास होगा कि गंदगी चाहे शहर की हो, मोहल्ले की या घर की, इसे दूर करने में हमारी भूमिका 'कॉन्सपिरेसी थ्योरी' गढ़ने के अलावा भी है जिसे हमें निभाना होगा. एक विविधतापूर्ण समाज का हर व्यक्ति और समूह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में अपने शब्दों से किसी का तिरस्कार करना उचित नहीं.

बाग़ में जाने के आदाब हुआ करते हैं
किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए

~निदा फ़ाज़ली

जब हम किसी धार्मिक,भाषायी और सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में रहते हैं तो हमें इसके आदाब भी सीखना होता है कि अपनी बातों को,अपनी शिकायतों को और अपनी गुज़ारिशों को कैसे प्रकट किया जाए. आप ख़ुद को अल्पसंख्यक या पीड़ित कह कर आवश्यक शिष्टाचार से मुंह नहीं मोड़ सकते. जिस प्रकार आप की संगत आप का परिचय देती है उसी प्रकार आप की भाषा आप की सोच का प्रतिबिंब होती है. समाज को और स्वयं को बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी सोच और संगत के प्रति सचेत रहना चाहिए.

लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे

मुख्य स्तंभ



डॉ. नफ़ीस अख़्तर
कानपूर, यू०पी०

फ्रीडम हाउस न्यूयार्क में स्थापित एक पुरानी लोकतंत्र समर्थक संस्था है, जो राजनीतिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रता पर विश्लेषण करने, मानवाधिकारों की वकालत करने और लोकतांत्रिक परिवर्तनों को परोत्साहन देने के लिए जानी जाती है। हाल ही में इसने फ्रीडम इन द वल्ड 2 0 2 1 नामक एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। इसमें 195 देशों और 15 क्षेत्रों में वर्ष 2020 के अंतराल में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता की स्तिथि का मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर देशों को "स्वतंत्र", "आंशिक रूप से स्वतंत्र" एवं "स्वतंत्र नहीं" की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ताजा रिपोर्ट में भारत को आंशिक रुप से ही स्वतंत्र माना गया है। इस रिपोर्ट में भारत को 100 में से मात्र 67 अंक प्राप्त हुए है और वह 195 देशों की सूचि में 77वें पायदान पर पहुँच गया है। पिछले साल भारत 70 अंकों के साथ 73वें स्थान पर था और उसे स्वतंत्र देशों की श्रेणी में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया था।

रिपोर्ट के अनुसार भारत लोकतंत्र से सत्तावाद की ओर अग्रसर है। पत्रकारों, गैर-सरकारी संगठनों, और सरकार की आलोचना करने वाले नागरिकों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में नाटकीय ढंग से इज़ाफा हुआ है। सरकार से असहमति व्यक्त करने वालों को देशद्रोह जैसे कानूनों का निशाना बनाया जा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आने लगी। मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा और शैक्षणिक समुदाय के लोगों, पत्रकारों तथा लेखकों को धमकियाँ देने और मुसलमानों को निशाना बनाकर हमला करने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई। 2019 में मोदी सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद से इस गिरावट में और तेज़ी आई। पिछले साल सरकार ने भेदभावपूर्ण नागरिकता क़ानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाइयां कीं। उन दर्जनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने सरकार के कदम की आलोचना की थी। न्यायिक स्वतंत्रता भी तनावग्रस्त रही। एक मामले में, नई दिल्ली में दंगों के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करने लिए पुलिस को फटकार लगाने के तुरंत बाद एक जज का तबादला कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आधिकारिक तौर पर एक सेक्युलर राज्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और कुछ मीडिया आउटलेट्स मुस्लिम-विरोधी विचारों को प्रमोट करते हैं। इस गतिविधि को बढ़ावा देने का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी लगता है। गायों के साथ दुर्व्यवहार या गोहत्या के लिए मुसलमानों पर हमले किए गये। कोरोना वायरस महामारी के दौर में देश के

मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर वायरस को फ़ैलाने के आरोप लगाए गए. इन आरोपों को लगाने वालों में सत्ताधारी पार्टी के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के तहत भारत ने वैश्विक स्तर पर एक लोकतांत्रिक लीडर के तौर पर काम करना छोड़ दिया। सभी के लिए समान अधिकार और समावेश की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों को ऊपर उठाने का काम किया गया। नागरिकों की परेशानियों का ख़्याल किए बिना पिछले साल मार्च में सरकार ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिससे लाखों प्रवासी मज़दूर बिना पैसों के शहरों में ही फंस गए। कई लोग पैदल ही सैकड़ों मील चले और इनमें से कई लोगों की दुर्घटना या फिर थकान के चलते मौत हो गई।

भारत सरकार ने जवाब में रिपोर्ट को भ्रामक और भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड़यंत्र करार दिया है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले कई सालों से अपने ऊपर देश के भीतर और देश के बाहर से होने वाली आलोचनाओं को भारत विरोध बताती रही है। सरकार के विरोध को भारत का विरोध बताने से लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ही भारत है और भारत ही नरेंद्र मोदी सरकार। चाहे शिक्षा संबंधी अनेक मामलों को लेकर विरोध करने वाले जेएनयू के छात्र हों, सीएए का विरोध करने वाले देश के नागरिक हों या कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान, सरकार की नज़र में यह सभी देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले विश्व स्तरीय गैंग से संबंध रखने वाले अर्बन नक्सल, आतंकवादी या ख़ालिस्तानी हैं। अपने ट्वीट द्वारा किसानों का समर्थन करने पर ग्रेटा थंबर्ग के खिलाफ विदेश मंत्रालय का आनन फानन हरकत में आना और दिल्ली पुलिस का उनके विरुद्ध एफआईआर करना आलोचनाओं के प्रति सरकार की नकारात्मक अति संवेदनशीलता का प्रमाण है।

फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ऐसी पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें भारत की रैंकिंग नीचे आई है। पिछले कुछ सालों से लगातार कई इंडेक्स में भारत की रेटिंग गिर रही है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत 40 ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर 2014 से भारत की रेटिंग नीचे आई है।

जहाँ तक भारत में पत्रकारिता की दशा और दिशा का सवाल है तो उसका हाल यह कि भारत मे स्वतंत्र पत्रकारिता लगभग समाप्त हो चुकी है। एक तरह से वह तथाकथित कारपोरेट मीडिया हाउसों की बंधक बन चुकी है। और कारपोरेट –सरकार गठजोड़ के नतीजे में उसका काम मात्र सरकार की उपलब्धियाँ गिनाना, उसका प्रचार करना और विरोध की आवाज़ों का उपहास उड़ाना रह गया है। पत्रकारिता जिससे आशा यह थी कि सदन मे कमज़ोर विपक्ष की कमी का एहसास नहीं होने देगी, और लोकहित में सरकार के समक्ष सवाल उठाकर लोकतंत्र का स्तंभ रूपी कार्य करेगी अब केवल सत्ताधारी दल का माउथपीस बनकर रह गयी है। टीवी चैनलों की डिबेट और ऐंकरों की पूर्वनियोजित चीख पुकार सरकार हित मे वाकयुद्ध का स्टेज बन गयी है।

कुछ लोकतंत्रवादी साहसी पत्रकारों द्वारा स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने की कोशिशों को भारत में धमकियों, और प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने का सामना है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार 17 जनवरी से 31 जनवरी के बीच मात्र पंद्रह दिनों मे 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और दस के ख़िलाफ़ प्रथमिकी दर्ज की गयी जिनमें से कई में

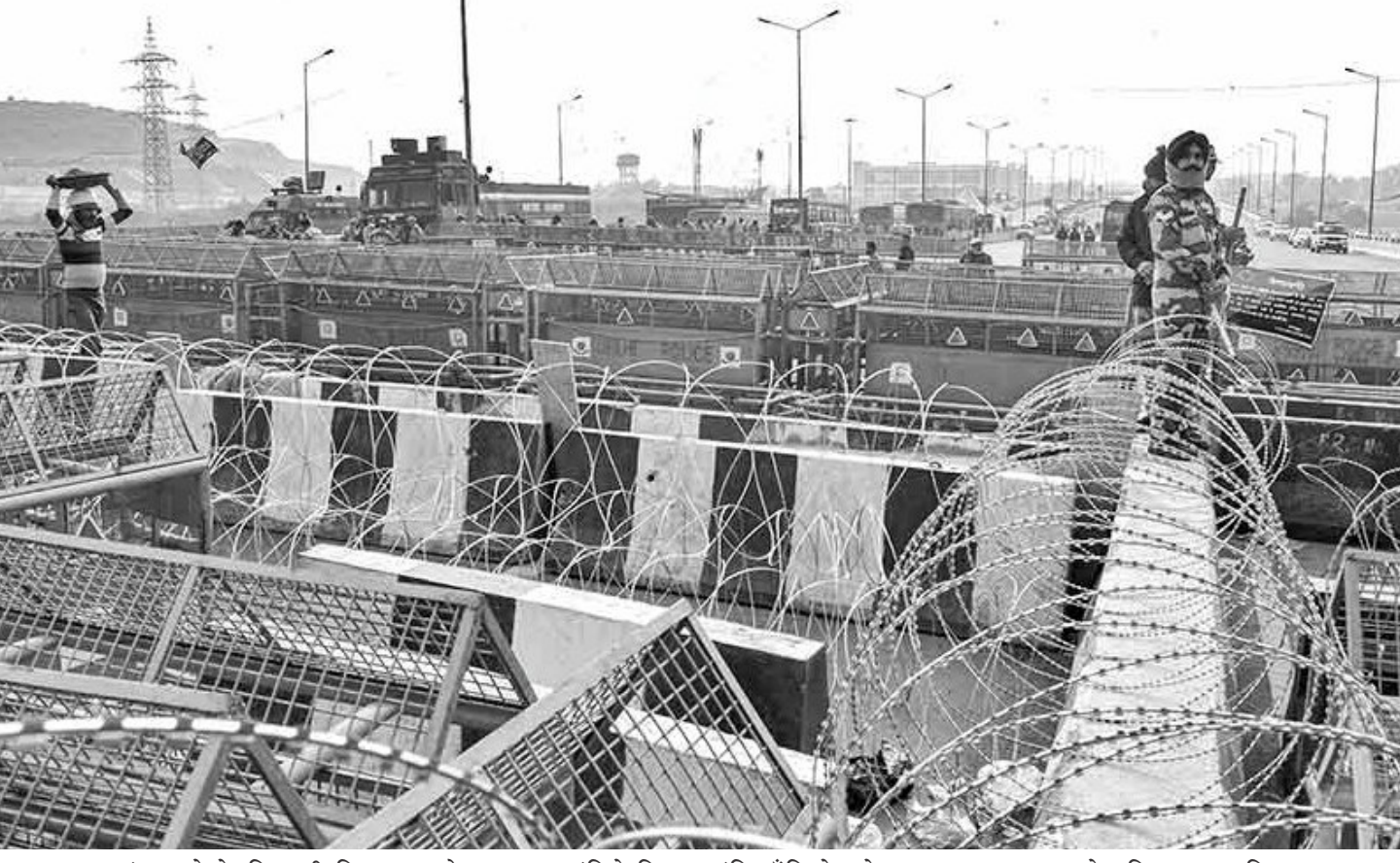


तानाशाहीकरण का एक विशेष पैटर्न होता है। सबसे पहले सिविल सोसायटी और शैक्षणिक समुदाय पर अंकुश लगाते हुए मीडिया को दबाया और नियत्रित किया जाता है। फिर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर मिथ्या समाचार और दुष्प्रचार फैलाते हुए ध्रुर्वीकरण के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों का अपमान किया जाता है। फिर उसके बाद समय आता है लोकतंत्र की जड़, चुनावों और अन्य औपचारिक संस्थाओं पर हमला करने का। रिपोर्ट मे कहा गया है कि भारत के तानाशाहीकरण ने बड़े पैमाने पर तानाशाहीकरण की तीसरी लहर वाले देशों का पैटर्न फॉलो किया है।

राजद्रोह और यूएपीए जैसी सख्त धाराओ का प्रयोग किया गया है। मंदीप पुनिया को जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का यह हाल है कि स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को एक ऐसे मजाक के लिए जो उन्होंने ओपन माइक में कभी कहा ही नहीं जेल जाना पड़ा। शिकायत कर्ता बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने कहा था कि उन्होंने उसे (फारूकी) यह जोक ओपन माइक में 'रिहर्स' करते सुना। लेकिन इसका कोई सबूत अबतक नहीं मिला है कि उन्होंने उस इवेंट में ऐसा कुछ कहा था।

स्वीडन स्थित वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी (वी-डेम) संस्थान का एक विश्लेषणात्मक शोध बताता है कि भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, "चुनावी तानाशाही" में बदल गया है। वी-डेम ने "वायरल होती तानाशाही" शीर्षक से प्रकाशित अपनी " डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021" में कहा है कि भारत का तानाशाहीकरण 2014 के आम चुनावों में मोदी सरकार के जीतने के बाद उसके द्वारा हिंदू-राष्ट्र के एजेंडे पर अमल करने के अंतर्गत अमल में आया है। शोधकर्ताओं ने डाटा का विश्लेषण करने के बाद पाया कि तानाशाहीकरण का एक विशेष पैटर्न होता है। सबसे पहले सिविल सोसायटी और शैक्षणिक समुदाय पर अंकुश लगाते हुए मीडिया को दबाया और नियंत्रित किया जाता है। फिर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर मिथ्या समाचार और दुष्प्रचार फैलाते हुए ध्रुर्वीकरण के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों का अपमान किया जाता है। फिर उसके बाद समय आता है लोकतंत्र की जड़, चुनावों और अन्य औपचारिक संस्थाओं पर हमला करने का। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के तानाशाहीकरण ने बड़े पैमाने पर तानाशाहीकरण की तीसरी लहर वाले देशों का पैटर्न फॉलो किया है। इसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेंसरशिप एक नियमित प्रक्रिया बन गया है। और अब यह केवल सरकारी मामलों से संबंधित नहीं रह गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी से पहले भारत सरकार ने कम ही कभी सेंसरशिप का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत इस पहलू से, अब उतना ही निरंकुश है जितना कि पाकिस्तान, और उसकी स्थिति पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल दोनों से भी बदतर हो गयी है। सामान्य तौर पर, भारत में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आलोचकों को चुप कराने के लिए देशद्रोह, मानहानि और आतंकवाद पर कानून का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, भाजपा के सत्ता संभालने के बाद 7,000 से अधिक लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और अधिकांश अभियुक्त सत्ता पक्ष के आलोचक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने सिविल सोसायटी की आज़ादी को बहुत कम कर दिया है और संविधान की धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता के खिलाफ गई है। "भाजपा ने सिविल सोसायटी संगठनों के प्रवेश, निकास और कामकाज को प्रतिबंधित करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम [एफसीआरए] का तेजी से उपयोग किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुत्व आंदोलन से खुद को जोड़ने वाले नागरिक समाज संगठनों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। यह भी दावा किया गया कि 2019 में संशोधित ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, का उपयोग "उत्पीड़न करने, डराने और राजनीतिक विरोधियों को कैद करने" के साथ-साथ सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ विरोध करने वाले लोगों के लिए किया जा रहा है।

"यूएपीए का इस्तेमाल शैक्षणिक समुदाय (Academia) में असंतोष को



शांत करने के लिए भी किया गया है। विश्वविद्यालयों और सरकारी अधिकारियों ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोधी छात्रों और कार्यकर्ताओं को दंडित करने का काम किया है।

फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ऐसी पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें भारत की रैंकिंग नीचे आई है। पिछले कुछ सालों से लगातार कई इंडेक्स में भारत की रेटिंग गिर रही है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत 40 ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर 2014 से भारत की रेटिंग नीचे आई है।

कांति के लिए यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक वी-डेम की इस रिपोर्ट पर कोई सरकारी प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। लेकिन किसे नहीं मालूम कि सरकारी प्रतिक्रिया वही ढाक के तीन पात जैसी होगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि सरकार की निरंकुशता बहुत बढ़ गयी है। खास तौर से राज्यद्रोह और यूएपीए का गलत इस्तेमाल ज़ाहरी तौर पर बढ़ा है। पहले से अलोकतांत्रिक और दमनकारी क़ानून यूएपीए में 2019 में किया जाने वाला संशोधन ख़ुद अपने आप में आम नागरिकों को संविधान प्रदत्त न्याय और स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित करने वाला है। इस संशोधन के बाद सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसे आतंकवाद का दोषी ही समझा जाएगा जबतक वह खुद को निर्दोष न साबित कर दे। यह उस आपराधिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांत के विपरीत है कि किसी भी अभियुक्त को तबतक निर्दोष समझा जाना चाहिए जबतक उसका दोष सिद्ध न कर दिया जाए। इस संशोधन के बाद किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य न होते हुए भी और किसी आतंकवादी गतविधि में संलिप्त हुए बिना मात्र विचारों के आधार पर सरकार किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसे जेल में डाल सकती है। इस संशोधन में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को किसी भी राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना उस राज्य में जाने तथा किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का खुला लाइसेंस भी दे दिया गया है। इस प्रकार के संशोधन ने क़ानून के दुरूपयोग का रास्ता साफ़ कर दिया है। विदित हो कि सिर्फ पिछले दो सालों में 4000 से अधिक लोगों को इस क़ानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जिनमें अधिकतर अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मानवाधिकार, पत्रकारिता से संबंध रखने वाले और सरकार की आलोचना करने वाले शामिल हैं।

अभिव्यक्ति के खतरे

संस्थानों का रिफॉर्मेशन और मानव सवेदनशीलता

मुत्तलिब मिर्ज़ा
कोटा, राजस्थान

सूरत (गुजरात) की एक अदालत ने "ग़ैर क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम" (UAPA) के अंतर्गत 2001 में गिरफ़्तार किए गए 124 लोगों को बेगुनाह मानते हुए 6 मार्च को बरी कर दिया, सभी लोगों को प्रतिबंधित संगठन "सिमी" के सदस्य होने के संदेह में गिरफ़्तार किया गया था, इस आरोप को अदालत ने निराधार मानते हुए निरस्त कर दिया। इसी तरह 1 मार्च को शाहबाज़ नाम के एक युवक को जयपुर हाईकोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी किया,शाहबाज़ को 2008 में जयपुर बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में था,उसकी ज़िंदगी के क़ीमती 12 साल एक झूठे केस ने बर्बाद कर दिए। इसी तरह की कहानी कश्मीर के मिर्ज़ा निसार की है जिन्हें तीन और लोगों के साथ 1996 में बम ब्लास्ट के अलग अलग केसों में गिरफ़्तार किया गया, 16 साल बाद 2011 में ट्रायल शुरू हुआ, और जुलाई 2019 में 23 साल बाद ये साबित हुआ कि वे बेगुनाह थे, इन 23 सालों में कभी उन्हें ज़मानत या पैरोल पर भी नहीं छोड़ा गया यहाँ तक कि निसार ही के साथ गिरफ़्तार हुए लतीफ़ के माता-पिता जो औलाद के ग़म का बोझ उठाते उठाते इस दुनिया से चल बसे उनके अंतिम संस्कार में जाने की भी इजाज़त लतीफ़ को नहीं दी गई,जब उन्हें रिहा किया गया तो जाँच करने वाले अधिकारी ने कहा "सॉरी तुम बेगुनाह थे" लेकिन क्या ये "सॉरी" उनकी ज़िंदगी के 23 साल लौटा सकता है? उन सपनों का क्या जो उनकी आंखों में ही दफ़न हो गए? जो कुछ वो खो चुके उसकी भरपाई पूरे देश के "सॉरी" कहने से भी नहीं हो सकती। हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें मात्र संदेह के आधार पर लोगों को संगीन धाराओं के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया, और फिर कई बरसों तक केस चलने के बाद सभी आरोप निराधार साबित हुए, कई मामलों में तो आरोपी बरसों तक जेलों में बंद रहे, कई तो केस के दौरान ही इस दुनिया से चल बसे, भारत में कश्मीर से कन्या कुमारी और असम से गुजरात तक ऐसे हज़ारों मामले हैं। अब भी कई बेगुनाह जेल के अंधेरे में उस सुबह का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो उनकी रिहाई की ख़बर ले कर आए। हैरतअंगेज़ बात ये है कि इस तरह के मामलों में कभी पुलिस के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों के वो अधिकारी जो इन मामलों में शामिल रहे उन पर किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ कि आख़िर कैसे वो किसी बेगुनाह को इस तरह बरसों तक संगीन धाराएँ लगा कर सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस तरह के मामले बताते हैं कि हमारी संस्थाएँ न्याय के प्रति कितनी असंवेदनशील हैं, सिर्फ़ यही नहीं



जो कुछ वो खो चुके उसकी भरपाई पूरे देश के "सॉरी" कहने से भी नहीं हो सकती। हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें मात्र सदेह के आधार पर लोगों को संगीन धाराओं के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया, और फिर कई बरसों तक केस चलने के बाद सभी आरोप निराधार साबित हुए, कई मामलों में तो आरोपी बरसों तक जेलों में बंद रहे, कई तो केस के दौरान ही इस दुनिया से चल बसे, भारत में कश्मीर से कन्या कुमारी और असम से गुजरात तक ऐसे हज़ारों मामले हैं। अब भी कई बेगुनाह जेल के अंधेरे में उस सुबह का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो उनकी रिहाई की ख़बर ले कर आए। हैरतअंगेज़ बात ये है कि इस तरह के मामलों में कभी पुलिस के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों के वो अधिकारी जो इन मामलों में शामिल रहे उन पर किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ कि आख़िर कैसे वो किसी बेगुनाह को इस तरह बरसों तक संगीन धाराएँ लगा कर सलाखों के पीछे डाल देते हैं ।

होता कि किसी को संदेह के आधार पर गिरफ़्तार किया जाता हो बल्कि दस पन्द्रह बीस साल ये साबित होने में लग जाते हैं कि जिसे पकड़ा गया वो बेगुनाह है,पिछले साल भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में देश्वयापी आंदोलन हुए,उस दौरान कई नौजवानों को UAPA के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया। कई मामलों में ये साफ़ नज़र आता है कि हुकूमत अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू करती है। UAPA 1967 में लाया गया जिसके बाद कई बार इसका ग़लत उपयोग हुआ और कई एक्टिविस्ट पत्रकार व समाजसेवी इस एक्ट की भेंट चढ़े, क़ानून लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सरंक्षण देने के लिए बनाए जाने चाहिए न कि आवाज़ों को दबाने और संघर्षों को कुचलने के लिए, लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र में इस तरह के कानूनों के ज़रिए मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। UAPA में पुलिस को बहुत छूट है,आरोपियों को ज़मानत भी पुलिस की डायरी के आधार पर ही मिलती है, कई मामले ऐसे आए हैं जब पीड़ित व्यक्ति 14-14 साल बाद हाइकोर्ट से बरी होता है, लेकिन उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने ग़लत केस बनाया था। आखिर हम किस तरह की पुलिस फ़ोर्स बना रहे हैं। झूठे मामलों में गिरफ़्तार किए जाने वाले लोगों पर पुलिस हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार की गाथा और भी ज़्यादा हृदयविदारक है, न सिर्फ़ उन्हें मारा पीटा जाता है बल्कि उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता है। जाती सूचक और धर्म सूचक गालियाँ दी जाती हैं। ख़ालिद सैफ़ी (जो NRC/CAA आंदोलन में एक्टिव थे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें UAPA के अंतर्गत गिरफ़्तार किया) की पत्नी बताती हैं कि "उनकी गिरफ़्तारी के बाद जब वो उनसे मिलीं तो देखा कि उनके दोनों पैर टूटे हुए हैं, सर और दाढ़ी के बाल नोचे हुए हैं, शरीर पर कई ज़ख़्मों के निशान हैं, पुलिस एनकाउंटर करने की धमकी देती है, और एक पुलिस वाला दूसरे से कहता है कि इसके ऊपर पेशाब करो" ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर किस तरह की ट्रेनिंग पुलिस फ़ोर्स को दी जा रही है कि उनमें और हैवानों में कोई फ़र्क़ नज़र नहीं आता, आख़िर कोई इंसान अपनी अंतरात्मा का गला इस हद तक भी घोंट सकता है? ये मामले हमारी संस्थाओं के नैतिक पतन की दास्तान सुनाते हैं, हमारी संस्थाओं का रिफ़ार्मेशन एक बड़ी चुनौती है, ये बताया जाए कि अत्याचार और अन्याय करने वालों को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने अत्याचार और अन्याय का बदला नहीं पाएँगे, उनका ज़मीर जीवन भर उनको धुत्कारेगा, ख़ुदा की पकड़ से वो ख़ुद को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, ऐसा नहीं है कि इंसान सर्वशक्तिमान है बल्कि उससे ऊपर भी एक ताक़त है जिसकी पकड़ से कोई बाहर नहीं, "और जब तुम्हारा रब किसी ज़ालिम

बस्ती को पकड़ता है तो उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है, निःसंदेह उसकी पकड़ बहुत सख़्त और दर्दनाक है" (क़ुरआन-11:102), अगर यहाँ बच भी जाएँ तो इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया है वहाँ किसी हाल में कोई ज़ालिम नहीं बच पाएगा, "ईश्वर ने रहमत को अपने ऊपर अनिवार्य किया है, वो क़यामत के दिन तुम सबको ज़रूर एकत्रित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है"(क़ुरआन-6:12)

समाज मे न्याय को स्थापित करने और बाक़ी रखने की ज़िम्मेदारी समाज के समस्त लोगों की भी है, किसी भी समाज में शांति और स्थिरता के लिए ये ज़रूरी है कि वो समाज न्याय प्रिय हो, समाज में किसी के साथ भी अन्याय हो तो समाज उसे न्याय दिलाने के लिए खड़ा हो जाए, भारत में बदले की भावना या पूर्वाग्रह के कारण जो गिरफ्तारियाँ इतने बड़े पैमाने पर होती हैं उसकी एक वजह ये भी है कि हम सामाजिक तौर पर इतने परिपक्व हो ही नहीं पाए कि इस तरह के मामलों में हुकूमत के सामने खड़े हो जाएँ, कई फ़र्ज़ी एनकाउंटर्स भारत में हुए हैं लेकिन शायद ही किसी मामले में जनता ने जागरूकता का परिचय दिया हो, सरकारी तंत्रों या सरकारों का इतना आज़ाद हो जाना कि वो जब चाहें जहाँ चाहें जिस पर चाहें हाथ डाल लें एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस समय भारत की जनता के सामने न्याय की स्थापना बहुत बड़ी चुनौती है, और न्याय के लिए सँघर्ष करना इंसान की विशिष्टता है, इंसानी समाज में न्याय का उसूल ये है कि "चाहे सौ गुनाहगार छूट जाएँ मगर एक बेगुनाह को सज़ा न होने पाए", सिर्फ़ इसलिए अन्याय पर चुप रहना कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो किसी दूसरे समुदाय से है, दूसरे धर्म से है या दलित है अल्पसंख्यक है, इंसानी सोच नहीं हो सकती, ईश्वर ने तो पूरी मानवता के लिए ये हुक्म दिया है "ए लोगो जो ईमान लाए हो ईश्वर की ख़ातिर न्याय के झंडावाहक और गवाह बनो, और किसी समूह की दुश्मनी तुम्हें इतना क्रोधित न कर दे कि तुम अन्याय पर उतर आओ, न्याय करो कि ये ईश परायणता के निकट है" (क़ुरआन 5:8) ये पूरी मानवजाति की नैतिक ज़िम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी कि वो एकजुट हो कर अन्याय का सामना करे, ताकि कभी फिर किसी बेगुनाह की ज़िंदगी के ख़ूबसूरत मौसम, और रंगीन बहारें क़ैदख़ानों के अँधेरे में न गुज़रे।



विशेष



डॉक्टर राम पुनियानी
प्रसिद्द लेखक और चिंतक

निजी स्वतंत्रता पर चोट है धर्मांतरण क़ानून

भारत का संविधान हम सबको अपने धर्म में आस्था रखने,उसका आचरण करने का हक़ देता है | यदि कोई नागरिक किसी भी धर्म का पालन करना नहीं चाहता, तो यह अधिकार भी उसे है| इन दिनों देश एक कठिन दौर से गुज़र रहा है | कोरोना महामारी का तांडव जारी है | सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगातार गिरावट आ रही है | देश की माली हालत ख़राब है | महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारों की फ़ौज बड़ी होती जा रही है और किसानों का देशव्यापी आन्दोलन चल रहा है | इन विषम परिस्थितियों में भी कुछ राज्य सरकारों की चिंता का बड़ा विषय है, अंतर्धार्मिक विवाह व धर्मपरिवर्तन | ये सरकारें इन विषयों पर क़ानून बनाने में जुटी हुई हैं|

धर्म परिवर्तन लम्बे समय से हमारे देश में विवाद और बहस का मुद्दा रहा है | अब उसे अंतर्धार्मिक विवाहों से जोड़ दिया गया है | यह आरोप लगाया जा रहा है किन ऐसे विवाहों का एक मात्र लक्ष्य धर्म परिवर्तन होता है | बीजेपी शासित प्रदेशों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करने या करवाने वालों को सज़ा देने के लिए क़ानून बन गया है | हिन्दू धर्म के स्व-नियुक्त ठेकेदारों को " धर्म- रक्षा" के लिए ऐसे दंपत्तियों को परेशान करने का लाइसेंस मिला गया है, जिन्होंने धर्म की दीवारों को पार कर विवाह किए हैं|

धर्म-परिवर्तन मुख्यतः हिन्दू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाना – पर बवाल खड़ा कर दिया गया है | उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म-परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने के लिए एक आरडनेंस जारी किया है, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाओं का पंजीयन रद्द हो जाएगा और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे| अध्यादेश के अनुसार, धर्म-परिवर्तन करने या करवाने वालों को स्थानीय प्रशासन को दो महीने पहले नोटिस देना होगा | प्रशासन को यह तय करने का अधिकार होगा कि धर्म-परिवर्तन क़ानूनी है या ग़ैरक़ानूनी | कहने की ज़रूरत नहीं कि यह साबित करने की ज़िम्मेदारी धर्म-परिवर्तन करने और करवाने वालों की होगी कि वे क़ानून के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं | इस अध्यादेश में एससी-एसटी और महिलाओं का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है | कई अन्य राज्य भी "लव जिहाद" और धर्म-परिवर्तन के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं|

ऐसे अनेक मामले सामने आये हैं, जिनमें विवाहित दंपत्तियों और उनके रिश्तेदारों को धर्म-परिवर्तन और "लव जिहाद" के नाम पर परेशान किया जा रहा है | जो क़ानून बनाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश हमारे संविधान के मूल प्रावधानों के ख़िलाफ़ हैं| देश के



स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान आर्य समाज ने "शुद्धि आन्दोलन" शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था अन्य धर्म अपना चुके हिन्दुओं को उनके पुराने धर्म में वापस लाना| बीसवीं सदी का सबसे बड़ा धर्म-परिवर्तन बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था | यह घटना हमें धर्म-परिवर्तन के असली कारणों से परिचित करवाती है| अंबेडकर दलित थे | वे विदेश से अनेक डिग्रियां लेकर भारत लौटे, परन्तु फिर भी उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा | वे अछूत ही बने रहे |

उन्होंने सामाजिक न्याय और दलितों को गौरवपूर्ण जीवन का हक़ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी | अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जातिगत ऊंच-नीच के चलते हिन्दू कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकते | उन्हें यह समझ में आ गया कि हिन्दू धर्म, ब्राह्मणवादी मूल्यों से संचालित और नियंत्रित है | यही कारण है कि उन्होंने कहा कि " मैंने एक हिन्दू के रूप में जन्म लिया है, परन्तु मैं एक हिन्दू के रूप में मरुंगा नहीं" | उनके इस विशद अध्ययन ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया | उन्होंने अपने तीन लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया | विधि प्राध्यापक समीना दलवाई ने अपने एक लेख में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि आज जो क़ानून बन चुके हैं, उनके अंतर्गत अंबेडकर को धर्म को धर्म-परिवर्तन करवाने के लिए गिरफ़्तार कर लिया जाता |

हमारे संविधान निर्माता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पैरोकार थे और इसमें अपनी पसंद के किसी भी धर्म के पालन के अलावा, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है | यद्यपि अधिकांश लोग जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उसी में जीवन भर बने रहते हैं | परन्तु अतीत में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने धर्म बदले हैं | हमारे देश में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार धर्म-परिवर्तन से ही तो हुआ है | बौद्ध धर्म को तो हिन्दू धर्म के असहिष्णु तबक़े के हमले का शिकार भी होना पड़ा | तब यह तबक़ा समानता के उस मूल्य के विरुद्ध था, जिसे बौद्ध धर्म प्रतिपादित करता है| जन्म आधारित असमानता, हिन्दू धर्म के कुछ पंथों का अविभाज्य हिस्सा है और इसे धर्म ग्रंथों की स्वीकृति प्राप्त है | इस तरह का ऊंच-नीच कुछ अन्य धर्मों में भी कुछ हद तक है|

आज धर्म-परिवर्तन की राह में अनेक रोड़े खड़े किए जा रहे हैं | परन्तु इतिहास गवाह है कि भारत में बड़े पैमाने पर आमजनों ने इस्लाम और ईसाई धर्म अंगीकार किया | भारत में मुख्यतः दो कारणों से धर्म-परिवर्तन हुए | पहला था, जाति-आधारित दमन| स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, "भारत पर मुसलमानों की विजय, ग़रीबों और पददलितों के लिए

हमारे सविधान निर्माता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पैरोकार थे और इसमें अपनी पसंद के किसी भी धर्म के पालन के अलावा, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। यद्यपि अधिकांश लोग जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उसी में जीवन भर बने रहते हैं। परन्तु अतीत में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने धर्म बदले हैं। हमारे देश में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार धर्म-परिवर्तन से ही तो हुआ है। बौद्ध धर्म को तो हिन्दू धर्म के असहिष्णु तबक़े के हमले का शिकार भी होना पड़ा। तब यह तबक़ा समानता के उस मूल्य के विरुद्ध था, जिसे बौद्ध धर्म प्रतिपादित करता है।

मुक्ति बनकर आई | यही कारण है कि हमारे देश के एक बटा पांच लोग मुसलमान बन गए | यह सब तलवार के बल पर नहीं हुआ |"

यह सोचना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी कि यह सब तलवार की नोंक पर हुआ | यह ज़मींदारों और पुरोहितों की चंगुल से मुक्ति के लिए हुआ | इसी का नतीजा यह है कि बंगाल के किसानों में हिन्दुओं से अधिक मुसलमान हैं, क्योंकि वहां बहुत से ज़मींदार थे | (सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ़स्वामी विवेकानंद, खंड 31979 प्रोलिटेरियट! विन इक्वल राइट्स अद्वैत आश्रम, कलकत्ता,1984 पृष्ठ 16 से उद्दृत)|

कई मामलों में सामजिक मेलजोल और आध्यात्मिक खोज के चलते भी धर्म परिवर्तन हुए | कुछ मामलों में विजेता राजाओं ने विजितों पर धर्म-परिवर्तन करने की शर्त भी लाद दी | भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने सूफ़ी संतों से प्रभावित होकर इस्लाम अपनाया| इसका दिलचस्प उदाहरण है एक सूफ़ी संत से प्रभावित होकर दिलीप कुमार का ए. आर. रहमान बन जाना | एक अन्य कारण थीं ईसाई मिशनरियां | उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए काम किया | सन 1999 ईसवी में पास्टर स्टेंस की धर्म-परिवर्तन करवाने के झूठे आरोप में हत्या कर दी गई और 2008 ईसवी में देश में कई स्थानों पर, जिनमें ओड़िसा का कंधमाल शामिल है, ईसाई विरोधी हिंसा भड़काई गई | परन्तु हमें यह भी समझना चाहिए कि सदियों बाद भी भारत में ईसाई कुल आबादी का 2.3 प्रतिशत ही हैं | (जनगणना -2011)

ज्ञातव्य है कि भारत में पहले चर्च की स्थापना सेंट थामस ने 52 ईसवी में की थी| राजनैतिक उद्देश्यों से अन्य धर्मों के माननेवालों के हिन्दू धर्म में "घर वापसी"



के अभियान भी चलते रहे हैं | आगरा में फुटपाथ पर रहनेवालों को बीपीएल और राशनकार्ड का लालच देकर कहा गया कि वे एक पूजा में आएं और घोषणा करें कि अब वे हिन्दू हैं | गर्म पानी के झरनों में आदिवासियों को नहलाकर उनकी "घर वापसी" के प्रयास भी होते रहे हैं | यह इन लोगों को एक बार जातिगत पदक्रम का भाग बनाने की राजनैतिक चाल है| (लेखक आईआईटी, मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 ईसवी के नेशनल कम्यूनल हार्मेनी अवार्ड से सम्मानित हैं) लेख का अंग्रेज़ी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया द्वारा)

(विविधा फीचर्स)



आंखन देखी

सुरेन्द्र पाल सिंह
पंचकुला,हरियाणा

किसान आंदोलन: ऊर्जा का श्रोत क्या है?

करीब 31 दिनों तक शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर रहने के बाद अब एक ब्रेक लिया है। इससे पहले टिकरी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर पर वहाँ की हलचल और सरगर्मियों को अनुभव करने के लिए जाना हुआ था। पूरे एहसास को यदि एक पंक्ति में कहना हो तो मैं इसे ऐतिहासिक आंदोलन कहना चाहूंगा। वर्तमान किसान आंदोलन प्रकट रूप से तीन नए कानूनों के विरोध में है, लेकिन कोई भी मुहिम या आन्दोलन का सिलसिला तभी तक ऊर्जापूर्ण रह सकता है जब तक उसके पीछे अव्यक्त कारक सक्रिय हों। समाजशास्त्रीय भाषा में इसे लेटेंट फंक्शन कहा जाता है। यह लेटेंट फंक्शन ही है जो किसी सामाजिक संस्था या परंपरा को कायम रखते हैं। ये आंदोलन केवल तीन कानूनों को रद्द करवाने के मुद्दे से ही ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रहा है बल्कि दर्जनों आयाम इसको मज़बूती प्रदान कर रहे हैं। सन 2014 के बाद से हमारा देश एक नई राजनीतिक-सामाजिक संस्कृति का न केवल साक्षी है बल्कि भुक्तभोगी भी है। हरेक प्रकरण की एक नए सिरे से व्याख्या की जा रही है जिसका केंद्रबिंदु किसी ना किसी प्रकार से हिन्दू बनाम मुसलमान रहा है। ये कार्ड लगातार जिंदा रहे उसके लिए मेनस्ट्रीम मीडिया और एक सुनियोजित सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है कि सौ फ़ीसदी झूठ भी सच लगने लग जाए। फ़ेक इतिहास, फ़ेक कहानियां, ट्रोल आर्मी द्वारा टारगेट बना कर किसी का भी चरित्रहनन, मॉब लिंचिंग का समर्थन, कोरोना जिहाद जैसी मनगढ़ंत कहानी को आम व्यक्ति के मन में सच्चाई के रूप में बैठा देना ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनकी एक लम्बी सूची है। ऐसे वातावरण में शांतिप्रिय और इन्साफ-पसंद लोगों में एक हताशा का एहसास होना स्वाभाविक है। गाहे बगाहे उनकी आवाज़ को भी दबाने के लिए एक नई शब्दावली गढ़ ली गई। उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्रविरोधी, अर्बन नक्सल आदि ख़िताब देकर ट्रोल आर्मी के हवाले कर दिया जाना आम बात रही है ताकि उनके दिलों में खौफ़ भर दिया जाए और बाक़ी लोग भी डर कर रहें। यूएपीए का खुल कर प्रयोग किये जाने के कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। बहरहाल, राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक मूल्यों को दरबदर करना मौजूदा निज़ाम की आवश्यकता भी है और मज़बूरी भी, क्योंकि हिन्दू बनाम मुसलमान की धुरी पर कायम रहना ही इन्हें सत्ता में रहने की गारंटी देता है। अन्य सभी मुद्दे सहज ही दोयम दर्जे पर खिसक जाते हैं। अब पूरे तामझाम को बनाये रखना है तो थैलीशाहों के साथ गुप्त समझौता भी आवश्यक है जो ना केवल चुनाव जीतने के लिए धन बल्कि जनमत बनाने के लिए मीडिया हाउस भी उपलब्ध कराता है। यह काम फोकट में तो नहीं होता है, बदले में उन्हें अपने हिस्से का मांस का पाउंड भी चाहिए। नए कृषि क़ानूनों की गहराई में जाने की बजाए इतना कहना पर्याप्त होगा कि निजीकरण के लम्बे सिलसिले का एक मुक़ाम इन क़ानूनों में स्पष्ट

है। हमारे देश में कृषि उपज का बाज़ार अपरम्पार है मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं का नियमन सबसे बड़े अवरोध हैं जो बड़े कॉरपोरेट को इसे मुट्ठी में लेने को फ्री हैंड नहीं देता है। कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर आने वाले समय में बैंकों का स्वामित्व भी इन्हें सौंप दिया जाए।

यह आंदोलन ऐतिहासिक क्यों है?

मौजूदा निज़ाम को पहली बार अपने आईटी सेल के घुड़सवारों को अस्तबल में वापस भेजना पड़ा और ट्रोल आर्मी के सिपहसालारों को निठल्ला बैठना पड़ा है। कितनी बेबसी हो गई है कि अवार्ड वापस करने वालों को पिछली बार की तरह अवार्ड वापसी गैंग कह कर ट्रोल करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो निज़ाम मुख्यतः पूर्वगढंत व्याख्या के आधार पर किसी भी आंदोलन को बदनाम करने और दबा देने में सिध्दहस्त रहा हो उसका शस्त्रविहीन होना एक ऐतिहासिक घटना है। एक लंबे अर्से से भुक्तभोगी नौजवान, छात्र, मज़दूर, छोटा व्यापारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का सहभागी बन गया है। विपक्षी पार्टियों द्वारा भी किसानों में अपना जनाधार बचाए रखने की मजबूरी तथा किसानपरस्त चेहरा रखना आवश्यक हो जाता है। सवाल उठता है कि आईटी सेल और ट्रोल आर्मी एक बार थोड़ी सी सक्रिय हुई थी जब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सौ सौ रुपये के दिहाड़ीदार, काँग्रेस के बहकावे में आदि मसाला सोशल और मेनस्ट्रीम मीडिया में देखने सुनने को मिलने लगा था, लेकिन जल्द ही होंठ क्यों सिल लिए गए। इसके दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से इस प्रकृति के प्रचार प्रसार पर लगाम लगाई गई है। पहला कारण आंतरिक है, जब सत्तापक्ष में टूट और जनता के सवालों के तार्किक जवाब की कंगाली महसूस होने लगी। दूसरा कारण इतने बड़े जनांदोलन से टक्कर लेने के सवाल पर शक्तिहीनता का एहसास है।

इस आंदोलन के अगुवा पंजाब के किसान हैं जिनकी अनेक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक जड़ें हैं। सिक्ख गुरुओं की कुर्बानी, बंदा बहादुर द्वारा किसानों को जमीन की मिल्कियत देना, सिक्ख मिसलों द्वारा नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली की फ़ौज से बार बार मुक़ाबला करते हुए पतनशील मुग़ल साम्राज्य में अपनी ताक़त का इजाफ़ा और गुरुद्वारों को महंतो से मुक्त करवाने के लिए एक लंबा, शांतिपूर्ण और कुर्बानियों भरा सफ़ल अकाली मोर्चों की विरासत वाले किसानों की आत्मा ज़मीन और खेती में रची बसी है। हरित क्रांति को जीवित रखने के लिए मंडी व्यवस्था भी



पंजाब में सबसे अधिक मज़बूत रही है। आज़ादी की लड़ाई, जलियांवालाबाग़, से लेकर ख़ालिस्तान आंदोलन जैसे उतार चढ़ाव से गुजरे पंजाबियों को अपनी एक सशक्त अस्मिता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता उन्हें इस मुक़ाम पर ले आई है कि मज़बूत, बेख़ौफ़, और लंबी लड़ाई के लिए उनकी तैयारी देखते ही बनती है। यही वजह है कि देश विदेश के पंजाबियों से इस आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है।

साम्प्रदायिक राजनीति का विरोध और आपसी सेवा व भाईचारे को बढ़ाने वाला है यह आंदोलन: साम्प्रदायिक राजनीति का पहला काम होता है संगठित जन आंदोलन की इस प्रकार से कमर तोड़ देना ताकि लंबे अरसे तक वे उभर ही ना पाए। इसके लिए उनके पास अचूक हथियार है सांप्रदायिक दंगों को हवा देकर उकसाना।

सन 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसने स्थानीय किसान आंदोलन की बुनियाद को इतना कमज़ोर कर दिया कि मिलकर अल्लाह-हू-अकबर और हर-हर महादेव के नारों की आवाजें महज़ एक याददाश्त ही बन कर रह गई। इसी सिलसिले में किसानों के दो अगुआ नेता महेंद्र टिकैत और चौधरी गुलाम मोहम्मद के बीच की दूरियां बढ़ती गयीं लेकिन आज वक्त के तकाज़े ने फिर से पुराने भाईचारे को जिंदा कर दिया। कितना सकून मिला होगा जब लाखों लोगों की भीड़ के बीच चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी उनके पांव छू रहे हैं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और वारिस राकेश टिकैत उनसे गले मिल रहे हैं। यह वाक्या भी मायने रखता है जब भारी भीड़ के सामने राकेश टिकैत द्वारा सत्तासीन पार्टी के कारकूनों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर सिक्खों को टारगेट करके खून खराबे की साजिश का पर्दाफाश किया गया किसी ना किसी रूप में लगातार हिंदू -मुसलमान की धुरी पर राजनीति को केंद्रित करते हुए नफ़रत के ज़हर की बुआई करते हुए सफलतापूर्वक वोटों की फसल काटी गई और इस प्रक्रिया में एक बीमार संस्कृति को पैदा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इतिहासचक्र को लंबे दौर तक उल्टी दिशा में नहीं चलाया जा सकता है। इस बार इतिहासचक्र को आगे की ओर ले जाने का श्रेय किसान आंदोलन को जाता है। हिंदू-मुस्लिम- सिक्ख ने अपनी अपनी नकारात्मक विरासतों को पीछे छोड़ते हुए सकारात्मक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है और यही है इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी। प्रत्येक समाज में नकारात्मक और सकारात्मक विरासतें मौजूद होती हैं जो समाज को तोड़ने या जोड़ने का काम करती हैं। सौभाग्य से सिक्खों में लंगर की 500 साल पुरानी विरासत ने पूरे आंदोलन को रोटी और सेवा की समृद्ध परम्परा के सहारे ना केवल कायम रखा है बल्कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारियों को बहुत कुछ सिखाया है कि आंदोलन के लिए सफेदपोश चौधरी होने की बजाए सेवा भाव कितना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि जाति और धर्म के नाम पर आपसी दूरियों की खाई पाटता है रोटी और सेवा का रिश्ता। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर एक मेवाती ख़ेमा है जहां सुबह- सुबह अंधेरे में ही चाय मिलनी शुरू हो जाती है और ये सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। यह इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ की चाय के तलबगारों की 100- 200 की संख्या में लाइन अमूमन वहां पर मिल जाएगी। सिक्ख और मुसलमानों के द्वारा मिलकर वहां पर खीर पकाने का दृश्य मन को छू लेने वाला होता है। सिक्ख परंपरा को श्रेय देते हुए यह नोट करना महत्वपूर्ण है की लंगर की अमूल्य विरासत को ग़ैर-सिक्ख भी उसी भावना से आगे बढ़ाना सीख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गाँवों से आने वाला प्रत्येक समूह अपने साथ कुछ न कुछ ऐसी सामग्री अवश्य लाता है जो सामूहिक आवश्यकताओं को पूरी करता हो। स्टोर की ज़िम्मेदारी निभाते हुए कितनी बार भावुकता के आंसू रोक नहीं पाया जब कोई परिवार दूरदराज़ के इलाके से आया और अपने घर से खाने पीने की चीजें बनाकर लाया। ठंड के मौसम में पिन्नियों की आवक तो सामान्य सिलसिला बनी रही। महाराष्ट्र से रात के समय अधिकतर आदिवासी महिलाओं वाला 700-800 व्यक्तियों के काफिले का एकबारगी इतने ठंडे इलाके में ठहरने, खाने-पीने और गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना मुश्किल काम था लेकिन सामूहिकता की भावना से यह संभव हो गया। यह भी हुआ कि क़रीब अढाई सौ व्यक्तियों को दिल्ली में ही रोके रखना पड़ा लेकिन ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर केरल से, प. बंगाल से, उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से, असम से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान और हरियाणा के अलग-अलग जिलों से आने वाले सैकड़ों व्यक्तियों के जत्थों की व्यवस्था तभी हो पा रही है जब खुले दिल से आमजन की हिस्सेदारी और सेवा की भावना मुखर है। खीर, हलवा, जलेबी और पकोड़े की सुविधा करीब करीब हमेशा मिलती रहती है क्योंकि अगल-बगल के गावों से दूध,लस्सी, घी आदि की सप्लाई बरकरार है।

निष्कर्ष: मैं जानबूझकर यहां क़ानूनी पक्षों पर, दलगत राजनीति पर, आंदोलन के कमज़ोर पहलुओं पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यह लेख उन संकेतों को उजागर करने के लिए लिखा जा रहा है जो समाज को आगे की ओर ले जाते हैं, जो इतिहासचक्र को पीछे की ओर धकेलने वाली ताकतों को मुंहतोड़ टक्कर देते हैं, और साझेपन की उर्जा से नए मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हैं।

जन-गण-मन



मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'
दिल्ली

स्वतंत्र आलोचना के लिए तंग होते दायरे

सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों की भूमिका चर्चा में है। एक ओर सरकार का मानना है कि इनका दुरूपयोग हो रहा है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इस दौर में विपक्ष की मज़बूत भूमिका निभा रहें हैं। इस बात से इन्कार नहीं कि सूचना के नाम पर हिंसक, भ्रामक नफरत फैलाने वाली और झूठी सामग्री परोसी जा रही है, जिसका असर समाज पर दिख रहा है, लेकिन इसकी सार्थकता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

देश और समाज में घटित होने वाली अनेक घटनाओं के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मज़बूत आवाज़ उठती रही है, जिनकी राष्ट्रीय मीडिया अनदेखी कर देता है। वहीं यह प्लेटफार्म अनेकानेक मामलों में अपराध और अन्याय के ख़िलाफ मज़बूत लड़ाई लड़ता दिखता है। ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर उठने वाली इस तरह की आवाज़ किसी सरकार को पसंद नहीं आती और वह इनकी नकेल कसने के बहाने तलाशती रही है। सीएए विरोधी आंदोलन, कठुआ रेप केस, हाथरस रेप केस, उन्नाव रेप केस, किसान आंदोलन आदि की पहली लड़ाई सोशल मीडिया अथवा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर ही लड़ी गयी, इसके बाद इसका असर ज़मीन पर दिखा।

यह समझना होगा कि सरकार इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के किस तरह के दुरूपयोग को लेकर चिंतित है? सरकार की चिंता की काफी झलक एडवोकेट विनीत जिंदल की याचिका में भी दिखती है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी है कि वह सोशल मीडिया की लगाम कसने के लिए केन्द्र सरकार को ज़रूरी निर्देश दे। उन्होंने अपनी याचिका में एक ऐसे विशेष जांच अधिकारी की नियुक्ति की ज़रूरत महसूस की जो सोशल मीडिया की निगरानी करने के साथ उस पर परोसी जा रही सामग्री को फिल्टर करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के निर्देश दे सके। इसे संयोग कहें या प्रयोग, सरकार की ओर से इंटरनेट मीडिया प्लटफार्म को लेकर जो दिशानिर्देश जारी किये गये उनमें इस सभी आशंकाओं को सामने रखा गया है।

इससे पहले केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया कि सरकार, फर्ज़ी खबरें फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ कार्रवाई करने से हिचकेगी नहीं।

जिन नये दिशा निर्देशों को जारी करते हुए रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने की कोशिश की है उनके प्रावधानों और सरकार की नीयत के फर्क को स्पष्ट करना ज़रूरी है। दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट डाला जाता है तो उसे सरकारी आदेश के बाद हटाना पड़ेगा। ऐसी सामग्री जो देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा या धमकी हो, जो भारत के मित्र देशों के संबंधों के लिए हानिकारक हो, उसे नहीं दिखाया जा सकता है। अगर कोई कम्पनी इन निर्देशों को नहीं मानती है तो यह क़ानून का उल्लंघन माना जाएगा। सरकार इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात करेगी, जो कथित आपत्तिजनक सामग्री पर निगाह रखेगा।

मालूम रहे कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ट्विटर से कहा था कि वह किसान आंदोलन से जुड़ी फर्ज़ी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को बन्द करे, जबकि ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर कुछ अकाउंट बन्द करने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर को भारत के क़ानून के हिसाब से चलना होगा। यहां सवाल यह है कि जो सरकार इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को लेकर इतनी चिंतित हो, उसी की नाक के नीचे आईटी सेल और गोदी मीडिया की ओर से दिन रात परोसी जाने वाली फर्ज़ी, भ्रामक और नफरत फैलाने वाली ख़बरों को रोकने में उसकी कोई दिलचस्पी दिखायी नहीं देती। इस तरह के कई सवाल हैं जो उसकी चाल, चरित्र पर सवाल पैदा करते हैं।

एडवोकेट विनीत जिंदल जब अपनी याचिका में यह कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक जटिल अधिकार है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुकम्मल नहीं है और इसके साथ विशेष कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का पालन करना होता है।



तब सवाल यह पैदा होता है कि कहीं सरकार की मंशा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों के विचारों पर पहरा बिठाने की तो नहीं है? यह सही है कि सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और यूट्यूब जैसे माध्यमों का दुरूपयोग हो रहा है। सांप्रदायिक हिंसा, फासीवाद का प्रचार-प्रसार, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफरत, झूठी-भ्रामक सूचनाएं, राष्ट्रीय



एकता को नुकसान पहंचाने वाली सामग्री आदि फैलाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनको रोकने के लिए क़ानून में पहले से ही काफी प्रावधान हैं। आशंका तब पैदा होती है जब कुछ सेलेक्टिव सामग्री को लेकर ही सरकार की चिंता सामने आती है। उदाहरण के रूप में दिल्ली दंगे, जेएनयू पर हुए हमले के दौरान सोशल मीडिया का दुरूपयोग और लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के दुरूपयोग के दौरान सरकार की ख़ामोशी देखने को मिली।

दिल्ली दंगों में हिंसक संगठनों और उनके सियासी आक़ाओं की ओर से अल्पसंख्यकों पर हमले के निर्देश देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे और लगातार भड़काऊ सामग्री परोसी जा रही थी। इसी तरह जेएनयू पर दक्षिणपंथियों के सुनियोजित हमले की साजिश सोशल मीडिया ग्रुप पर रची गयी और हमले को अंजाम दिया गया। देश में कोरोना के लिए एक समुदाय विशेष और एक धार्मिक संगठन को जिम्मेदार ठहराने के लिए गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का जमकर दुरूपयोग हुआ और सरकार इस दुष्प्रचार को मौन समर्थन देती दिखी। यह सभी ग्रुप सरकार की संज्ञान में रहे, इसके बावजूद हिंसक तत्वों की जगह पुलिस पीड़ितों के ख़िलाफ कार्रवाई करती नज़र आयी। इस पूरे मामले में व्हाट्सएप चैट के अलावा सीसीटीवी फुटेज में हमलावरो का चेहरा आने के बाद भी व्यवस्था हमलावरों के बचाव में खड़ी दिखी। आख़िर इसकी जवाबदेही किसकी है?

यह घटनाएं सरकार की कथनी और करनी के अंतर और उसकी निय्यत को स्पष्ट करने के लिए काफी हैं। सवाल यह भी है कि कहीं इस आड़ में आलोचनात्मक तथा सरकारी ख़ामियों की पोल खोलने वाली सामग्री को फिल्टर करने और लोगों के स्वतंत्र विचारों पर अंकुश लगाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? झूठी तारीफ करने वाले आईटी सेल की सामग्री पर खामोश रहने वाली सरकार को ट्विटर पर किसान आंदोलन से जुड़ी सामग्री में आपत्ति नज़र आती है। गोदी मीडिया की ओर से परोसी जाने वाली झूठी और एक पार्टी विशेष के प्रचार की ख़बरों से त्रस्त हज़ारों जनता ने टीवी देखना छोड़ दिया। मशहूर पत्रकार रविश कुमार इस मुद्दे को अपने टीवी कार्यक्रमों में बार-बार उठाते रहे हैं। कई मामलों में गोदी मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया है। उसकी झूठी रिपोर्टिंग आंतरिक एकता और सुरक्षा को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इसको लेकर सरकार कभी चिंतित नहीं दिखी। इससे इस बात को बल मिलता है कि उसकी चिंता सेलेक्टिव है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार गोदी मीडिया को भी इन दिशा निर्देशों के दायरे में खड़ा करेगी? अगर नहीं तो इन दिशा निर्देशों की आड़ में छिपी सरकार की मंशा को समझा जा सकता है।



हुमा मसीह
दिल्ली

मर्दवादी बैलेंस बनाम नारी सशक्तिकरण

हाल ही में एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर की दहेज विरोध दर्शाती तस्वीर वायरल हुई है. तस्वीर में औरत की व्यथा और समाज के नासूर को बख़ूबी दर्शाया गया है,लेकिन दहेज की पीड़ा को दर्शाती, औरत की मज़लूमियत को बयां करती एक तस्वीर मात्र के वायरल होने से कुछ मर्द असहज हो गए और यह तर्क पेश करने लगे कि दहेज की समस्या के दोनों पहलू हैं, जिसमें मर्द भी औरत जितना ही मज़लूम है. ऐसा तर्क पेश करने वालों से सीधा सवाल यह है कि क्या मर्द भी औरत की तरह इतना मज़लूम है कि उसे भी मां के पेट में ही जेंडर पता कर मार दिया जाता है? जिस औरत की, माँ के गर्भ से ही अन्याय और ज़ुल्म की शिकार होने की शुरुआत हो जाती है, शादी के समय दहेज के लिए प्रताड़ित होती है और गर्भ में लड़की के पलने के कारण उसे टार्गेट किया जाने लगता है उसके दर्द को किसी तस्वीर के द्वारा बयां करने मात्र से मर्दवादी बाइनरी बनाने में जुट गए. उसके विरोध और डिफेंस में तर्क प्रस्तुत करने लगे. मैं उस राज्य से हूं जो भारत में कन्या भ्रूण हत्या के लिए जाना जाता है. मैंने इस असामनता को अपने राज्य की भूमि पर महसूस किया है. लड़की को बोझ मान कर की जाने वाली कन्या भ्रूण हत्या (female foeticide) जैसे घिनौने काम के पीछे पितृसत्तात्मक समाज और दहेज जैसी कुप्रथाएं ही बड़े कारण हैं. ट्रिपल तलाक इश्यू जब चर्चा में आया था तब भी कई लोगों ने बाइनरी बनाने की कोशिश करते हुए कहा था कि "बहुसंख्यक समाज तो हमसे भी बदतरीन हालत में है, कम से कम वहां की तरह हमारे मुस्लिम मआशरे में औरतों को जान से मारा तो नहीं जाता." हालांकि अगर हम सर्वे करें तो पाएंगे कि मुस्लिम समाज में जान से तो नहीं मारा जाता पर मुस्लिम महिलाओं को उनके आत्मसम्मान के साथ ज़िंदा भी रहने नही दिया जाता. किसी क़ौम और समाज के लिए इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि जब उनके यहां महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और असामनता की ओर ध्यान दिलाया जाए तो उस समुदाय के लोग फौरन बैलेंस बनाने लगें या दूसरे समाज में मौजूद बदतरीन बुराइयों का हवाला देकर सच्चाई से मुंह मोड़ें. एक बेहतरीन समूह वो होता है जो पहले अपनी कमियों पर नज़र रखता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है. वो सामने वाले को यह मौका नहीं देता कि वो आकर हमारे इश्यूज़ पर ध्यान दिलाए. मुस्लिम समाज भी भारत के बाकी समाजों की तरह ही एक पितृसत्तामक समाज है, लेकिन भारत के मुसलमान आमतौर पर इस बात को क़ुबूल करने को तैयार नहीं हैं, वो



शुतुरमुर्ग की तरह अपने समाज में औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफी से मुंह मोड़कर सिर्फ़ इस्लाम के सिद्धांतों को बयान कर लेना काफी समझते हैं.निस्संदेह इस्लाम मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली सबसे बेहतरीन विचारधारा है, लेकिन स्वयं हम मुसलमान एक समाज के रूप में इस्लाम के सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते. हम भले ही एक फाशिस्ट सरकार द्वारा बना दिए गए कानून के विरोध में उसे "शरीयत में मुदाख़लत" का नाम दें, लेकिन हक़ीक़त यह है कि औरतों को इस्लाम द्वारा दिए गए अधिकारों को न देकर हम रोज़ शरीयत में मुदाख़लत करते हैं. औरतों को उनका चुनाव का अधिकार न देना, बोलने की आज़ादी से वंचित करना, दुनिया में मुक़ाम बनाने के रास्ते कम करना, लड़का और लड़की में फ़र्क, दहेज, घरेलू हिंसा आदि बुराइयां मुस्लिम समाज में भी कहीं कम तो कहीं ज़्यादा मौजूद हैं। अक्सर औरत की आज़ादी को धर्म के नाम पर महदूद किया जाता है, हालांकि इस्लाम एक औरत के तमाम अधिकार सुनिश्चित करता है.मैं मुसलमान होते हुए यह कहने कि हिमाक़त कर रह रही हूं कि शायद दुनियां के बाक़ी समाजों में तो फिर भी औरतें अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर चर्चा कर सकती हैं लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज की आम औरत इस सशक्तिकरण से अभी भी महरूम है. क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज भले ही अपनी दीनी किताबों में मेहर के मुद्दे पर हज़रत उमर फारूक को टोकने वाली औरत का ज़िक्र बड़े फख्र के साथ करता हो, लेकिन हक़ीक़त में सवाल उठाने वाली औरतों को हमारे यहां पसंद नही किया जाता. दहेज के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कई लड़कों द्वारा ये तर्क भी दिए गए कि लड़की पक्ष भी लालची होता है, ज़्यादा सैलरी वाला लड़का देखते हैं, कई लड़के जो रिजेक्शन के दर्द से दो चार हुए उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने को भी मज़लूमियत के तर्क के तौर पर पेश किया, हालांकि रिजेक्शन दुनिया में लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी झेलना पड़ता है. लड़कियों के मामले में रिजेक्शन की शक्ल और भी बदतरीन होती है. रंग रूप,कद काठी में कमी निकालने के साथ साथ कई बार तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो जो लड़के इन बातों की बुनियाद पर किसी मुद्दे का दूसरा पहलू पेश करने के नाम पर तर्क-वितर्क कर रहे हैं वो असल में एक बड़े विमर्श में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. एक सामान्य सी बात है कि जब एक मुद्दे पर बात हो रही है तो खुल कर पहले उसी मुद्दे पर चर्चा हो, दूसरे पहलू के नाम पर जब आप किंतु परंतु करते हैं तो आप मुद्दे पर चर्चा के ही नहीं बल्कि उस समस्या से पीड़ित औरतों के भी गुनहगार होते हैं. यह वक्त की ज़रूरत है कि एक समाज के रूप में हम मुसलमान अपना मूल्यांकन करें. औरतों के साथ होने वाले अन्याय पर डिफेंसिव होकर बाइनरी न बनाए बल्कि ईमानदारी से सच को कुबूल करें. ये दुनिया का उसूल है कि जब आप किसी को उसका हक नही देते हैं तो वो किसी और राह पर चल कर अपना हक मांगेगा, लेकिन अपना हक लेकर रहेगा.आज ट्रिपल तलाक पर एक फाशिस्ट सरकार क़ानून लेकर आई, हो सकता है आने वाले वक्त में संपत्ति में हिस्से को लेकर भी क़ानून ले आए, तब यह मत कहिएगा कि इस्लाम में औरतों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, क्योंकि भले ही हमारे मज़हब के सिद्धांत में ये बात है लेकिन हक़ीक़त के धरातल पर मौजूद नही है. जिस गति से मुस्लिम समाज में औरतें पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, उस गति से मर्द अपने विशेषाधिकारों को छोड़कर सहिष्णु होकर महिलाओं को उनका स्थान और अधिकार देने को तैयार नहीं हो रहे हैं. यही वजह है कि जब महिलाओ के साथ नाइंसाफी का कोई मुद्दा सामने आता है तो मुस्लिम समाज के मर्द तुच्छ तर्क प्रस्तुत करके उस मुद्दे के हल पर होने वाले विमर्श को रोकते हैं. अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे पास एक बेहतरीन विचारधारा है, उसे हम बातों से प्रस्तुत करने की बजाय अपने समाज में अमल में लाकर दुनिया के सामने एक विकल्प बनें.

देश का भविष्य निर्धारित करेगा किसान आंदोलन



विजय चावला
कानपुर, यूपी

गत तीस वर्षों के इतिहास, जिसमें राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन का बोलबाला था, का अंतिम समय निकट आ गया है। वर्तमान में जारी अभूतपूर्व किसान आंदोलन ने विभाजन कारी मुद्दों को पीछे ढकेल दिया है और उनके स्थान पर जनता और देश के वास्तविक मुद्दों को सामने ला दिया है। आज देश में ध्रुवीकरण तीन खेती संबंधित क़ानूनों के इर्द-गिर्द हो रहा है, न की मीणा और गूजरों के मध्य, अथवा जाट आरक्षण को लेकर। न ही यह किसी मंदिर- मस्जिद के विवाद का हिस्सा है। यह सीधा वर्गीय/ सेकुलर मुद्दों को लेकर ध्रुवीकरण है; गोलबंदी इसी के इर्दगिर्द हो रही है।

विभाजनकारी मुद्दे,जिनमें कुछ आर्थिक तत्व और जातिगत स्तिथियों का समावेश था , वर्ष 1990 से प्रभावी हो गए थे। मण्डल और कमंडल की लड़ाई के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। इस लड़ाई में व्यापक मध्यम वर्ग में जाति के आधार पर विभाजन किया गया था। मण्डल आयोग के द्वारा पिछड़ी जातियों को नौकरियों में आरक्षण दिये जाने के बहाने एक बड़ा विभाजन खड़ा हो गया था, जिसका आवश्यम्भावी राजनैतिक परिणाम यह था कि किसान आधारित अधिकांश संगठन मज़बूत हो गए थे. किसानी में अन्य पिछड़ी जातियों का बहुमत है। इसके विपरीत लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के द्वारा राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, जिससे सवर्ण एकता स्थापित करने में सहायता मिली। सवर्ण जातियों का हित इस बात में था की मण्डल का जवाब तैयार किया जाए और भाजपा, जिसमें सवर्णों का विशेष प्रभाव था, राम मन्दिर निर्माण के लिये इन जातियों का समर्थन जुटाना चाह रही थी। एक बड़ा गठबंधन बना जिसके तहत भाजपा ने सवर्ण जातियों को अपने पीछे गोलबंद कर लिया। यद्यपि यह बात भाजपा ने कभी नहीं कही कि वह आरक्षण प्रथा समाप्त कर देगी लेकिन सवर्णों को हमेशा यह लगा कि अगर कोई पार्टी यह कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। जो हो, भाजपा का मुकाबला करने के लिये उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन स्थापित हुआ। बाबरी के बाद मुसलमानों की गोलबंदी शरू हुई और समस्त मुसलमान एक-जुट होने की ओर बढ़ चले। इसकी अभिव्यक्ति एक आम नारे के रूप में हुई, कि भाजपा को हराने वाले को ही वोट डाला जाए। इस प्रकार हम ने यह देखा कि विभिन्न जातियों के गठबंधन और मुसलमानों द्वारा एक साथ वोट डालने के प्रयास से समस्त राजनीति पहचान के मुद्दों पर केंद्रित हो गई। यदि बीच में ऐसे विषय लाये गये जो इन विषयों से अलग हट कर थे, तो वे अपने को स्थापित नहीं कर सके। इन सब कारणों से जनता की चेतना कुंद हुई और वे अपने वास्तविक हितों के लिये संघर्ष नहीं कर सके। जो संघर्ष हुए भी वे बहुत दूर तक नही जा सके। इस माहौल में विश्व व्यापार संगठन के नियमों को लागू करना आसान हो



गाया था। उसके बाद से बड़ी पूंजी के पक्ष की नीतियों को लागू करना भी आसान हो गया था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और बड़ी पूंजी अपने को पूरे तौर पर स्थापित करने में जुट गयी। भाजपा का मुसलमान विरोध भी उसने स्वीकार कर लिया । उसके द्वारा नियंत्रित मीडिया ने हिनदुत्व के विभाजनकारी दर्शन पर कोई एतराज नही किया। इस वर्ग के लोग स्वयं भी भाजपा और आरएसएस से जुड़ने लगे। उदाहरण के लिये रतन टाटा जो पहले पूंजीपति थे जिन्होनें बाबरी के ध्वंस की 1992 में निंदा की थी, को आज आर एस एस के मुख्यालय जाने में कोई परहेज़ नही है। यही हाल बाकी पूंजीपतियों का भी है। संक्षेप में, विभजानकारी राजनीति ने बड़ी और विदेशी पूंजी के गठजोड़ को देश की अर्थनीति पर हावी हो जाने दिया । इसके विरोध में हुए आंदोलन इसकी विजय यात्रा को रोक नहीं सके. वर्तमान सरकार एक के बाद एक ,बड़ी पूंजी के लाभ के कदम उठाती रही। उसने देसी व्यापारिक पूंजी से किए अपने सभी वायदे ताक पर रख दिए और वॉलमार्ट इत्यादि को आने की पूरी छूट दे दी। विदेशी पूंजी को खुदरा में नहीं आने का वादा उसने दर किनार कर दिया। इस प्रकार आज भारत में सभी विदेशी व्यापारिक कंपनियां कार्यरत हैं। साथ ही देसी बड़ी पूंजी की कम्पनियाँ भी। व्यापार अब धीरे धीरे छोटी पूँजी के हाथ से निकल ,बड़ी अथवा विदेशी पूंजी के हाथ में जाना शुरु हो गया है। पूंजीपति वर्ग की एक और माँग थी कि मज़दूरों को उनके नियंत्रण में दे दिया जाए, उनके अधिकारों को समाप्त किया जाए और श्रम का नूनों में परिवर्तन किया जाए, इसको भी मान लिया गया और यह घोषणा कर दी गई है कि इन्हें एक अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इसके द्वारा 43 श्रम कानूनों को 4 संहिताओ में बदल दिया जाएगा. ऐसा हो जाने पर पूंजीपति वर्ग की दसियों साल की लड़ाई जीत में समाप्त हो जाएगी और जिसके द्वारा वह यह अधिकार प्राप्त करना चाहते थे कि मज़दूरों को जब चाहो तब रखो और जब चाहो तब निकाल दो, वह उन्हें प्राप्त हो जायगा। इस विषय के विरोध में कई मज़दूर हड़तालें हुईं, देश व्यापी बंद का आह्वान किया गया, लेकिन सभी संगठन और युनियनें मिलकर भी सरकार को झुका नहीं सकी और सरकार ने घोषणा कर दी है कि यह कानून 1 अप्रैल से लागू होंगे। वर्तमान किसान आंदोलन से पूर्व केवल नागरिकता आंदोलन ही सरकार को रोक पाया था। जिसे सरकार दिल्ली में दंगे के द्वारा ही खतम करवा सकी. यह संघर्ष एक प्रकार से अनिर्णीत रह गया। लेकिन इस पूरे आन्दोलन के दौरान, सम्प्रदायिकता सर नहीं उठा सकी। इसमें भागीदारी ज़्यादातर मुसलमानों की होने के बावजूद, अन्य समुदायों ने भी समर्थन दिया। इसे संप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश ज़्यादा कामयाब न हो सकी। यह आन्दोलन भी सरकार को मात नहीं दे पाया, लेकिन इसने सरकार को कमज़ोर अवश्य कर दिया। सभी अन्य वर्गों को परास्त करने के बाद ,जिसमें व्यापारी, मज़दूर, अन्य समुदाय सभी शामिल थे, जब यह सरकार छोटी पूंजी के मालिक किसान पर आयी, यहाँ उसे वह चुनौती मिली है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ किसान आकर डट गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान के नेतृत्व में शुरू होकर अब यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र , गुजरात और कर्णाटक तक फैल गया है। यह किसानों का लगभग देश व्यापी आन्दोलन बन गया है। शेतकारी संगठन जैसे कुछ संगठनों को छोड़कर, किसानों के सैंकड़ों संगठन इसमें जुड़ गए हैं। यह आंदोलन अपने आप में एक अभूतपूर्व आंदोलन बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसने किसान को एक वर्ग के रूप में संगठित कर दिया है। किसानों की

सभी श्रेणियां इस आंदोलन में शामिल हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन होकर रह जायगा। टिकैत बंधुओं के द्वारा अपनी पोज़ीशन बदलने से समूचा आंदोलन और अधिक व्यापक और प्रतिनिधिमूलक हो गया। नरेश टिकैत का यह बयान कि मुझसे दो गलतियाँ हुई; पहली यह कि पिछले चुनाव में उसने अजीत सिंह को हराया और दूसरी यह कि दंगे के समय मुसलमानों की मदद नहीं की। टिकैत ने यह घोषणा की कि ऐसी ग़लती दोबारा कभी नही होगी। इसके लिये उन्होनें सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। टिकैत का यह बयान इस बात का सूचक है की इस आन्दोलन ने किस प्रकार पुरानी सोच को धक्का दिया है और उसके स्थान पर वर्गीय सोच को दोबारा सामने ले आया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013 में जाट-मुसलमान दंगों के बाद से भाजपा का वहाँ बोलबाला हो गया था और उसके बाद के तीन चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल, दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जाट- मुसलमान एकता दोबारा स्थापित हो गयी है। इसकी शुरुआत पहले ही हो गयी थी। लेकिन अब यह मज़बूत हो गई है। टिकैत द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने से बड़ी संख्या में मुसलमान किसान ग़ाज़ीपुर सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं। इस प्रकार एक नयी किसान एकता स्थापित हो गयी है। भाजपा द्वारा गत बीस वर्षों से मुसलमान विरोध के नाम पर जाटों को एकत्रित किया गया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ हो गया था। लेकिन सेकुलर, वर्गीय राजनीति के ऊपर आने से जातिवादी और संप्रदायवादी राजनीति को गहरी चोट लगी है। यह आंदोलन जितने समय चलेगा, यह रुझान और अधिक गहरा होता जायेगा। लेकिन हर स्थान पर ऐसा नही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके की मीणा जाती तो पूरे तौर पर आंदोलन के साथ है। लेकिन गुर्जर अभी तक इस आंदोलन के साथ नहीं है। कुछ मायनों में वह इसके ख़िलाफ़ ही है। लेकिन देश में बाक़ी किसान जातियाँ एक जुट होकर इस आन्दोलन के साथ हैं और बहुधा अपने अपने स्थानों पर नेतृत्व भी कर रहे हैं। उतर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और अन्य स्थानों पर यह किसान आन्दोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार देश की राजनीति में एक बुनियादी परिवर्तन आरहा है। गत दसियों वर्ष से बड़ी विदेशी पूंजी की हावी राजनीति को एक प्रभावी चुनौती जन राजनीति से मिल रही है। इस संघर्ष का नतीजा देश के भविष्य को निर्धारित कर देगा।



समर शेष है



मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'
दिल्ली

आईसीयू में लोकतंत्र

दिशा रवि, फारूक अब्दुल्लाह और इस तरह के कई केसों में अदालतों के बार-बार स्पष्ट करने के बावजूद कि सरकार से असहमति रखना देशद्रोह नहीं हैं, देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया था। अब यह आज़ाद भारत में उसी मकसद को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

असहमति रखने वाले छात्रों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, समाजिक कार्यकर्ताओं, सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनकारियों, किसानों आदि पर पर धड़ल्ले से इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। दमन के लिए साम, दाम, दंड भेद हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि भारत के लिए सेक्यूलरिज्म शब्द सबसे बड़ा खतरा है। इससे उबरना होगा। इससे पहले 2015 में शिवसेना और 2017 में केन्द्रीय राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगडे ने ब्राम्हण युवा परिषद के कार्यक्रम में सेक्यूलरिज्म शब्द को संविधान से हटाने की मांग की थी। मोदी सरकार द्वारा लाए गये सीएए-एनआरसी कानून सीधे-सीधे धार्मिक आधार पर भेद भाव करते हैं। यह कानून संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे के ख़िलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपने एक आदेश में कहा था कि संसद संविधन में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसी आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव करता सीएए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी, लेकिन एक साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया।

इससे राहुल गांधी की उस बात को बल मिलता है कि मौजूदा सरकार ने देश के लोकतांत्रिक और न्यायिक ढांचे को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। पिछले कुछ सालों में देश में गांधी को गोली मारने की घटना का मंचन किया गया, गोडसे का मंदिर बनाया गया, आतंकी घटनाओं की आरोपी प्रज्ञा को संसद पहुँचाया गया, मुस्लिम विरोधी हिंसा के आरोपियों से केस वापस लिया गया। भीमा कोरोगांव में दलित-पिछड़ा समाज पर हमला किया गया, वामपंथी विचारधारा के बुद्धिजीवियों को जेलों में डाल दिया गया। संविधान की प्रति जलायी गयी, गोरक्षा के नाम पर लगातार हत्याएं की गयी, मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 7,000 लोगों पर राजद्रोह का केस लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में करीब 4000 मुसलमानों पर गो हत्या का केस लगाया गया। अनेक लोगों की संपत्तियों पर

बुलडोजर चला दिया गया। लोगों के संवैधानिक अधिकारों और जनाधिकारों का जिस तरह दमन हो रहा है उसकी धमक देश से बाहर भी जा रही है। दुनिया में लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस की आज़ादी और जनाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्थाएं और हस्तियां भारत की वर्तमान दशा पर न सिर्फ निगाह रखी हुई हैं, बल्कि उनकी रिपोर्टों में चिंता भी जताई जा रही है।

स्वीडन के एक इंस्टिट्यूट वी-डेम की रिपोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप पर सवालिया निशान लगा दिया, जिसका उल्लेख कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी एक ट्विट में किया। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी की जीत के बाद से लोकतांत्रित स्वरूप काफी कमज़ोर हुआ है और अब पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये 'तानाशाही' में तब्दील हो चुका है।

वी-डेम ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों पर सरकार के दमन की आलोचना की। इससे कुछ ही दिनों पहले फ्रीडम हाउस की वैश्विक रिपोर्ट में लोकतंत्र को खतरे में बताया गया। 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' की एक सालाना वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में एक बहुपार्टी लोकतंत्र है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने भेदभाव वाली नीतियों और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगुवाई की है। रिपोर्ट में कहा गया कि पत्रकारों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ने नागरिकता क़ानून (सीएए) को भेदभापूर्ण बताते हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गयें 50 से ज्यादा लोगों पर चिंता जतायी।

पिछले सालों में जारी होने वाले मीडिया की स्वतंत्रता, हैप्पी इंडेक्स, गरीबी, वर्ल्ड बैंक इंडेक्स, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत 40 ग्लोबल पायदानों पर 2014 के बाद से देश नीचे की ओर ही गिरा है। भारत आधिकारिक तौर पर सेक्युलर राज्य है, लेकिन हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन और कुछ मीडिया आउटलेट्स मुस्लिम-विरोधी विचारों को प्रमोट करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गतिविधि को बढ़ावा देने का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गायों के साथ दुव्र्यवहार या गोहत्या के लिए मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं, कोरोना वायरस फैलाने के आरोप मुसलमानों पर लगाये जाते हैं जिसमें सत्ताधारी पार्टी के अधिकारी भी शामिल रहे हैं।

भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा में आए बदलाव को देश के भीतर और बाहर समान रूप से महसूस किया जा रहा है। हालात चिंताजनक हैं लेकिन निराशाजनक नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो बदलाव भी आएगा, ऐसी आशा रखनी चाहिए।



मोहम्मद करीमुद्दीन
बैंडेल,पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल चुनाव: हैट्रिक बनाम हेकड़ी

चुनाव आयोग द्वारा तीन राज्यों तमिलनाडु, असम , केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के साथ-साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही देश में चुनावी समर की गरमा-गर्मी अपने शबाब पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं. 8 चरणों के मतदान द्वारा चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य है।

एक ओर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस , ममता बनर्जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर तीन दशकों से भी अधिक समय तक राज करने वाली वामपंथी पार्टियां अपने वजूद की लड़ाई में व्यस्त हैं।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा पहली बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आज़माने उतरे फुरफुरा शरीफ के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) भी अपने पर फड़-फड़ा रहा है।

तीसरी ओर 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 18 सीटें जीतने से उत्साहित केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों / गठबंधनों के प्रमुख बड़े नेताओं द्वारा ताबड़ तोड़ चुनावी रैलियां कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। अवसरवादी नेताओं और अभिनेताओं के दलबदल का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है।

अमेरिका और ब्रिटेन से अलग भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। चुनावों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ आम नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है लेकिन ऐसा केवल तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल (चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल) मर्यादा में रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख कर चुनाव में भाग लें और यह मानकर चलें कि जनता ही असली मालिक है, वह जिसे चाहे सत्ता की चाभी सौंप दे। यदि कोई राजनीतिक दल हर हाल में (साम ,दाम ,दंड ,भेद का इस्तेमाल कर)अनुचित तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहे तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, आम जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दे जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें ,महंगाई, बेरोज़गारी और सामाजिक समरसता से जुड़े मुद्दों को काफी मजबूती से उठा रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति अपनी गंभीरता दिखाते हुए ममता बनर्जी ने सर्वाधिक



महिलाओं को मैदान में उतारा है। महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में 'स्वास्थ्य साथी' और 'कन्याश्री' जैसी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार कर रही है। उसके चुनावी नारे 'खेला होबे' 'बंगाल को अपनी बेटी चाहिए','अकेली महिला बंगाल के सम्मान के खातिर बाहर के लोगों से लड़ रही है ' आदि भी काफी प्रचलित हो रहे हैं उधर वामपंथी, कांग्रेस और आई० एस ० एफ गठबंधन, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के मात्र ज़बानी तुष्टीकरण , भाई- भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। उन का कहना है कि बंगाली समाज हमेशा से सामाजिक समरसता भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और खुले विचारों का समर्थक रहा है । यहां धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और कट्टरता का कभी कोई नामोनिशान तक नहीं रहा है । भारतीय जनता पार्टी जैसी संकीर्ण और समाज व देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने वाली पार्टी को बंगाल में बढ़ावा देने का आरोप भी वामपंथी दल, ममता बनर्जी पर लगाते रहे हैं, इसमें एक हद तक सच्चाई से इन्कार भी नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में भागीदार रह चुकी हैं। अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम न करने और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उसने बहुत ही प्रखरता से बंगाल में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कोयला खनन, तोला बाजी (चिटफंड घोटाला) सिंडीकेट कटमणी, गौ तस्करी एवं आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को पश्चिमी बंगाल में लागू न करने जैसे मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को भी बीजेपी उठा रही है। जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे-हरे, बीजेपी घरे-घरे और विकास के लिए बंगाल को चाहिए डबल इंजन की सरकार जैसे चुनावी नारे तो बीजेपी के पुराने आज़मूदा चुनावी नुस्खे हैं,सभी गैर बीजेपी राज्यों में वो इन्ही नारों में नामों का फेरबदल कर चुनावी बिगुल फूंकती है। बाहरी पार्टी के इल्ज़ाम पर भी बीजेपी का जवाब ये है कि जिस जनसंघ की विचारधारा के आधार पर बीजेपी का गठन हुआ है उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बंगाली थे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी कहा है कि मुझे बंगाली होने पर गर्व है। उन्होंने फिल्मी अंदाज में अपने मशहूर डायलॉग 'मारबो एखाने, लाश पोरबे शोशाने' मारूंगा यहां लाश गिरेगी शमशान में' के बाद एक नया नारा दिया- 'आमी जोल दोरा ओ नय, आमी बेले बोराओ नय, आमी जात कोबरा, एक छोबोले छोबी (यानी मैं पानी में रहने वाला ढोर सांप नहीं हूं , मैं दो मुंह वाला सांप भी नहीं हूं , मैं विषैला नाग हूं यदि एक बार डस लिया तो उसकी तस्वीर दीवार पर टंग जाती है) बंगाल की बात हो और मिठाइयों की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता । सिटी ऑफ जॉय (city of joy) के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता निवासी खाने-पीने और मिठाइयों के शौकीन होते हैं ओर राजनीति से भी गहरी

दिलचस्पी रखते हैं। यहां लगभग हर चुनाव में चुनावी मुद्दों पर मिठाईयां बनती हैं। इस बार यहां 'खेला होबे' और 'जय श्री राम' नामक मिठाइयों की धूम मची हुई है। 'मोदी संदेश' और 'दीदी संदेश' नामक मिठाइयों पर दोनों नेताओं की छवि भी उकेरी गई है। इस तरह भाजपा, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों से जुड़ी कई मिठाइयां दुकानों में उपलब्ध हैं। ममता बनर्जी पर,बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है या शायद ममता बनर्जी को भी ISF और AIMIM से खतरे का एहसास होने लगा है, इस बार उन्होंने नंदीग्राम में खुद को ब्राह्मण की बेटी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 30 प्रतिशत है। मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 70% है, मालदा ज़िले में लगभग 57% है। पश्चिम बंगाल में 105 सीटों पर मुसलमान निर्णायक स्थिति में है। पहले कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इस वोट बैंक का सियासी फायदा उठाया और बीते एक दशक से इसपर तृणमूल कांग्रेस का कब्ज़ा है। इसी की बदौलत वर्ष 2011 और 2016 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। ऐसे में अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सेंध लगाते हैं तो सत्ता की हैट्रिक बनाने के तृणमूल कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फिर सकता है। एक वरिष्ठ पत्रकार सुकुमार महतो (मुर्शिदाबाद) का मानना है कि ISF ओर AIMIM भले ही कोई सीट जीते या नहीं लेकिन कुछ सीटों पर दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं । तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसा दावा किया है कि यदि भाजपा इस चुनाव में 100 सीटें जीत गई तो वे चुनाव रणनीतिकार का अपना काम छोड़ देंगे।

संपूर्ण चुनावी परिदृष्य का विश्लेषण करने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है अर्थात उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि शिकस्त मिलने पर उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की कट्टर आलोचक ममता बनर्जी न केवल भाजपा से लोहा ले रही हैं बल्कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें अपनी ही पार्टी के बागी नेताओं से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सौगत राय का मानना है कि इस बार मुकाबला कड़ा है क्योंकि हमारे सामने भाजपा है जो धन बल और केंद्र सरकार की मशीनरी के इस्तेमाल से बंगाल में सत्ता हथियाना चाहती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है जबकि वाम मोर्चा गठबंधन इस लड़ाई में पीछे दिख रहा है । हार जीत का असली फैसला दक्षिण बंगाल में हो सकता हैं। दक्षिण बंगाल में जिसे अधिक सीटें मिलेगी वही सत्ता में आएगा क्योंकि विधानसभा की 294 में से 218 सीटें इसी इलाके में हैं। यदि इस चुनाव में भाजपा को कुछ सीटें मिलती है तो वह सीधे-सीधे तृणमूल कांग्रेस से ही छीनेगी और अगर ममता बनर्जी बहुमत के करीब भी पहुंचती है तो उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के विजय रथ को रोकने वाले नेताओं में गिना जाएगा।



समाज



अख्लाक अहमद
देवरिया, यूपी

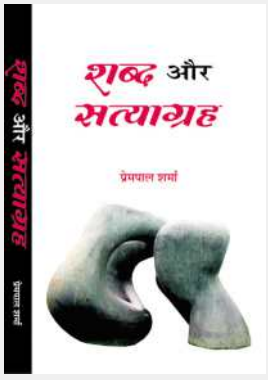
दहेज की समस्या और भारतीय संस्कृति

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अहमदाबाद की आएशा का आत्महत्या से पहले का अत्यंत दुःखदायी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उस जिंदादिल लड़की के आत्महत्या के इस वीडियो ने पूरी दुनिया के संवेदनशील लोगों को झकझोर कर रख दिया और लोग इस आत्महत्या के वास्तविक कारणों को जानने-समझने के लिए मजबूर हो गए। बाद में लड़की के पिता के मीडिया में आये बयानों से पता चला कि आत्महत्या का ये मामला दरअस्ल शादी और दहेज-उत्पीड़न की समस्या से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया मे होने वाली आत्महत्याओं के कुल 17 % मामले अकेले भारत मे ही होते हैं। आत्महत्या करने वाले 35% लोगों की उम्र 15-39 के बीच होती है। आत्महत्या के कुल मामलों में 10% मामले प्रेम, विवाह और दहेज सम्बन्धी समस्याओं से जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत मे प्रत्येक दिन 20 औरतें दहेज के लिए मार दी जाती हैं अथवा उन्हें मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। जबकि ये भी एक हक़ीक़त है कि दहेज हत्या से जुड़े हज़ारों मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। दहेज की समस्या मूलतः भारतीय उमहाद्वीप की समस्या है जिसमे भारत,पाकिस्तान और बंग्लादेश जैसे देश आते हैं। इन देशों में रहने-बसने वाले अधिकतर लोग मूलतःवही हैं जिनके पूर्वज कई हज़ार वर्षों तक मनुवादियों के शासन-अंतर्गत ग़ुलाम की हैसियत से जीवन-यापन करते रहे और उनकी सोच और जीवन मे मनुवादी संस्कृति और संस्कार खून की तरह गर्दिश करती रहती है। धर्म बदल जाते हैं मगर इस सोच में रत्ती भर भी बदलाव नहीं होता। स्त्री-पुरुष के बीच भयानक भेदभाव मनुवादी सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। पुत्र (पुरुष) को श्रेष्ठ,पवित्र,कुल-दीपक,वंश को आगे बढ़ाने वाला,बुढ़ापे का सहारा, पुरखों का तारणहार, सम्मानित, पूज्यनीय और पुत्री(स्त्री) को अत्यंत निम्न, गन्दी, साजिशी, धूर्त अवांछित, अपमानित और '"बोझ" समझना मनुवादी धार्मिक- सामाजिक व्यवस्था की विशेषता रही है। पति-परमेश्वर है जिसकी हर हाल में पूजा करना ही स्त्री का धर्म है। तो जब स्त्री इतनी निम्न, निकृष्ट और "बोझ" मान ली गयी तो ज़ाहिर है कि इस निकृष्ट "बोझ" को जो भी अपने



कंधों पर ढोएगा उसे आप उसके इस "उपकार" के बदले जितना भी धन-संपत्ति दे दें वो कम ही होगा। फिर ये "बोझ" तो पूरी ज़िंदगी भर का है तो इसकी कीमत भी सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी और तब भी शायद इस अत्यंत महान उपकार की सही कीमत अदा न की जा सके। स्त्री के बारे में यही वो सोच है जो इस महाद्वीप में दहेज और महिलाओं से जुड़े हर अमानवीय कृत्य,पूर्वाग्रह और अपराध की जड़ है। कालांतर में लोगों ने धर्म तो बदले मगर उनकी सोच में मनुवादी संस्कार ख़ून की तरह गर्दिश करते रहते हैं। इसीलिए ये बुराई इस महाद्वीप में रहने-बसने वाले लगभग सभी धर्मावलम्बियों में थोड़ी कम या ज़्यादा ज़रूर पाई जाती है। इसी वजह से जो औरतें अपने साथ दहेज नहीं लातीं या "कम"दहेज लाती हैं वो ससुराल में कोल्हू के बैल की तरह और नौकरानियों से भी बदतर तरीके से दिन-रात काम करते रहने के बावजूद ख़ुद अपनी नज़र में ही गिरी हुई महसूस करती हैं। उनका Moral हमेशा Down ही रहता है। ससुरालियों के रोज़-रोज़ के ताने और गालियां उन्हें दिन ब दिन और कमज़ोर करते चले जाते हैं। यही सोच जब आगे बढ़ती है तो महिलाओं के साथ मार-पीट यहां तक की उनकी हत्या तक कर दी जाती है। हत्या न हो सके तो उस औरत को इतनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है कि वो या तो पागल हो जाती है या आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेती है। आएशा का मामला इसी श्रेणी में आता है। वैसे तो इस्लाम में दहेज जैसी लानत के लिए कोई जगह नहीं है मगर यहां भी मनुवादी ज़ेहन रखने वाले कुछ मौलवी हज़रात ने कुछ तीसरे दर्जे की रिवायतों की मदद से लड़की को विदाई के समय "ख़ुशी-ख़ुशी" ज़िन्दगी की ज़रूरत का सामान (दहेज) देने को जाएज़ क़रार देने की भरपूर कोशिश की है। जबकि इस्लाम में लड़के को दहेज देने की बजाए निकाह के अवसर पर लड़की को लड़के द्वारा अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर देने का हुक्म है। इन तथ्यों की अनदेखी करके आप भारतीय उपमहाद्वीप में दहेज समेत महिला उत्पीड़न से सम्बंधित किसी भी समस्या के सही कारणों तक न तो पहुंच सकते हैं और न ही उसके किसी व्यवहारिक हल तक पहुंच सकते हैं।महिला उत्पीड़न और दहेज से सम्बंधित दर्जनों क़ानून,सरकारी-ग़ैर सरकारी संस्थानों-संगठनों इत्यादि के होने के बावजूद समाज मे महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध में कमी की बजाए दिन ब दिन बढ़ोत्तरी होने का मूल कारण यही है। जब तक इस समस्या से जुड़े इन तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया जाएगा ये समस्या इस महाद्वीप से समाप्त होने वाली नहीं है।

शब्दों के साथ सत्याग्रह



अध्ययन चर्चा



अबू अनीका
मेवात, हरियाणा

वरिष्ठ लेखक प्रेमपाल शर्मा की नई किताब 'शब्द और सत्याग्रह' वास्तव में अख़बारी लेखों का संकलन है। यह किताब शब्दों के सहारे सत्याग्रह की महत्ता और ताक़त बयान करती है। इन लेखों को पढ़ते हुए यह एहसास प्रबल होता है कि लेखन के दीर्घजीवी होने के लिए बौद्धिकता बघारने की नहीं, बल्कि आम जीवन को गहराई और संवेदनशीलता से देखने वाली अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता होती है।

किताब में 70 लेख शामिल हैं, जो समाज के हर पहलू को ग़ौर से देखते हैं, परन्तु सबसे अधिक शिक्षा-प्रणाली पर चिंता प्रकट की गई है। वर्तमान शिक्षा-सन्दर्भ में माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी पर अतिशय ज़ोर और शिक्षा के निजीकरण पर लेखक के विचार, अधिक धारदार एवं चिंतनीय हैं। शिक्षा के मूलार्थ एवं उद्देश्य को नज़रअंदाज़ करके नौकरी रुपी लक्ष्य की प्राप्ति पर अधिक ज़ोर को लेखक ने मौजूदा शिक्षा-प्रणाली की बड़ी ख़ामी बताया है। फ़लतः विचार एवं ज्ञान का उत्पादन लोगों की नज़रों से ओझल हो गया है। 'पापा के कहने पर' लेख शिक्षा-व्यवस्था पर ज़ोरदार चोट है। शिक्षा हासिल करने में ख़ासकर लड़कियों के मामले में किस तरह माता-पिता और समाज की बंदिशें रुकावट पैदा करती हैं, इसे लेख से समझा जा सकता है। किताब का पहला लेख 'कामवाली की हिंसा' शहरी मध्यवर्गीय जीवन पर व्यंग है। साथ ही हाशिए पर पड़ी सिसक रही ज़िंदगी के दर्द को समझने की कोशिश भी। इसी तरह इस संकलन में कई लेख आम आदमी की दुनिया को पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के सामने लाते हैं, जिससे मध्यवर्ग का वास्ता रात-दिन का है। परन्तु रिश्ता, आत्मीयता लगभग ख़त्म–सा हो गया है। मुख्य लेख "शब्द और सत्याग्रह" में आज के समय में गांधी जी के महत्व को विशिष्ट सन्दर्भ में याद किया गया है। गांधी जी ने दक्षिण अफ़्रीक़ा में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे भेदभाव का विरोध करने के लिए जिस तकनीक का विकास किया, उसके लिए सत्याग्रह शब्द का चुनाव काफ़ी सोच-समझकर किया, इसके लिए " पैसिव रेजिस्टेंस" शब्द सुझाया गया था। गांधी जी ने इसके लिए बाक़ायदा इन्डियन ओपीनियन में बहस चलाई थी। यहाँ प्रेमपाल शर्मा ने प्रभाष जोशी, राजेन्द्र माथुर की परम्परा को भी याद किया है, जिसकी आज अनदेखी की जा रही है।

प्रभाष जोशी के अवदान को याद करते हुए लेखक ने लिखा है, "अपनी बोली, भाषा और शब्दों के साथ जो सहज खिलंदड़ापन प्रभाष जोशी ने हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता को दिया है, वह अद्वितीय है"। लेखक का मानना है कि इसके पीछे की वजह शायद प्रभाष जोशी जी की आत्मा में गांधी जी का रचा-बसा होना है। यह महज संयोग नहीं है कि प्रेमपाल शर्मा ने इस किताब को प्रभाष जोशी जी की स्मृति को समर्पित किया है। इस संकलन के विषयों का दायरा काफ़ी बड़ा है, इस दायरे में शिक्षा-व्यवस्था, हिन्दी भाषा और साहित्य, सूचना क्रांति का मकड़जाल, नौकरशाही का चरित्र, मध्यवर्ग, जातिवाद पुलिस तंत्र समाज और अर्थव्यवस्था का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों गिरवी होना, काम की तलाश में लोगों का प्रवास आदि कई बिंब और चित्र शामिल हैं। कुछ व्यक्तिगत क़िस्म के संस्मरण भी हैं। दिल्ली से लुप्त होती कॉफ़ी हाउस की बैठकबाजियां और इसी के साथ लुप्त होते साथ बैठने और बतियाने के अवसर को बड़े नास्टाल्जिक ढंग से 'विकास मार्ग से ग़ायब कॉफी होम' लेख में बयान किया गया है। जीवन के प्रति इस नास्टाल्जिया को 'चिट्ठी का इंतज़ार' जैसे दूसरे लेखों में भी देखा जा सकता है। शिल्प की परवाह किए बग़ैर जब ईमानदार होकर महसुसात को शब्द देने की कोशिश की जाती है, तो कुछ इसी तरह का अनूठा फ़ार्म हमारे सामने आता है। ये अपनी बात कहने की ललक से लिखे गए लेख हैं, इसमें लेखक के निजी आग्रह हमें कई जगह खटकते हों, तो उन्हें इस किताब का गुण ही मानना चाहिए, आख़िर निजता लेख का गुण ही तो है।



सोशल अड्डा

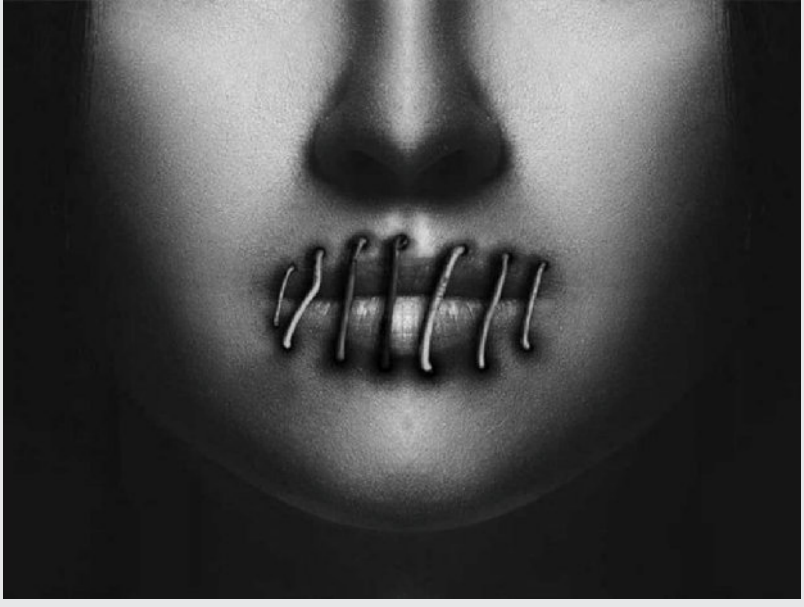
संपादन प्रभाग

बोलने की क़ीमत

बॉलीवुड अभिनेता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के कार्यालय और घर पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाज़ार गर्म रहा। फ़िल्म जगत पर आयकर विभाग की छापेमारी कोई नयी घटना नहीं है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण अलग तरह का रहा।

दरअस्ल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू काफी समय से देश में चलने वाले जनांदोलन का समर्थन करते आ रहे हैं। इसके अलावा वे सरकार की जनविरोधी नीतियों की खुल कर आलोचना भी करते रहे हैं। मुखर आलोचक के रूप में उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट, मेनस्ट्रीम मीडिया की सुर्खी बनते रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि आयकर विभाग का छापा उनकी आवाज़ बन्द करने के लिए था। छापेमारी के बाद आयकर विभाग की ओर से इन लोगों पर करोड़ों की टैक्स अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लांड्रिग की जांच कर रही है।

इस कार्रवाई पर तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि 'तीन दिनों की गहन खोजबीन के बाद तीन चीजें मिली हैं। एक, मेरे 'कथित' पैरिस के बंगले की चाभियां, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। दो, जिस कथित पांच करोड़ रुपये की रसीद को मुझे फंसाने के लिए रखा गया, वह पैसे मैंने कभी लिए ही नहीं।' जबकि सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्षी दलों ने सरकार की निय्यत पर सवाल खड़े किये। सबने यही कहा कि इन लोगों को सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की सज़ा दी



गयी। इस छापे को लेकर फिल्म जगत, सियासी हस्तियों और आम सोशल मीडिया यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आयी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस छापेमारी को लेकर मोदी सरकार और उसकी एजेंसियों पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि 'उंगलियों पर नचाना- केन्द्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ यही करती है। केन्द्र सरकार के समाने भीगी बिल्ली बना गोदी मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसे केन्द्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है।'

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले कई दिनों से अनुराग और तापसी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दबाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। जो भी मोदी सरकार के ख़िलाफ बोलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर सीधे उंगली न उठाते हुए आयकर विभाग को नसीहत की कि 'उम्मीद है आयकर विभाग जल्द ही बंधुआ गुलामी से बाहर आएगा। ऐसी ही उम्मीद ईडी और सीबीआई के लिए भी है।'

कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के लिए कोई नयी बात नहीं है। आजकल रोज़ का यह मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी बात रखता है, उसपर दबाव बनाने का यह माध्यम हो गया है।

शिवसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप किसान आंदोलन के पक्ष में शुरू से ही खड़े रहे हैं, जिसकी कीमत उन्हें आईटी विभाग की कार्रवाई के रूप में चुकानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली और सरकार की नीतियों की खुल कर आलोचना करने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर कहां पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का समर्थन करते हुए ट्वीटर अकाउंट पर लिखा कि 'तापसी की सराहना के लिए ये ट्वीट, जो एक साहसी और दृढ़ विश्वास वाली अमेजिंग लड़की हैं। आज के समय में उन जैसे बहुत कम दिखाई देते हैं। मजूबती के साथ खड़ी रहो वॉरियर।' अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने अनुराग कश्यप के बारे में भी ऐसी ही बातें कहीं। उन्होंने लिखा कि 'अनुराग कश्यप की सराहना में ये ट्वीट, जो एक टीचर और टैलेंट के मास्टर और अपनी स्पष्टता के साथ, बहादुर दिल वाले, अनुराग आपको और ज़्यादा शक्ति मिले।'

फिल्म जगत में कुछेक लोगों को छोड़ कर आम तौर पर सन्नाटा रहा। इस छापे पर कुछ फिल्म निर्माताओं ने अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। इनमें निर्माता नीरज घायवान का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तकों से भरी अलमारी के साथ अनुराग की तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि उन्हें डीवीडी में छिपा हुआ खज़ाना मिल जाएगा, घर पर उन पुस्तकों में निश्चित रूप से कुछ है। एक यूज़र सुमित सिंह ने ट्वीटर पर लिखा कि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के घर आयकर विभाग का छापा। ये वही लोग हैं जो सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज उठाते हैं। शायद आवाज़ दबाने की कोशिश है। वहीं एक अन्य यूजर दृश तिवारी ने लिखा कि बोलोगे तो जेल जाओगे, चुप रहो, डर कर रहो, गांधी जी के बन्दर बन के रहो, फिर भी आप पर छुरी चलेगी, कभी तो बोलोगे, नींद में ही सही।

करियर



संपादन प्रभाग

हिन्दी भाषा के क्षेत्र में भविष्य

राष्ट्रीय भाषा होने के कारण 'हिन्दी' पूरे देश में बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके व्यापक प्रसार को देखते हुए इसमें करियर बनाने की असीम संभावनाएं हैं। ऐसा भी नहीं है कि अच्छी हिन्दी जानने के लिए कोई कठिन पढ़ाई की ज़रूरत है। हिन्दी विषय में बीए या एमए करके इस क्षेत्र में कदम रखा जा सकता है।

वर्तमान में हिन्दी के समाचार चैनलों और अख़बारों के अलावा समाचार पोर्टल, ब्लाग, यूट्यूब चैनल आदि के ज़रिये अच्छी कमाई की जा सकती है। बतौर एंकर, समाचार संपादन, समाचार लेखन, रिपोर्टिंग आदि के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हिन्दी में कविता, नाटक, उपन्यास, गद्य, निबंध, रचनात्मक लेख, पटकथा आदि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उप्लब्ध हैं।

हिन्दी पत्रकारिता:- हिन्दी पत्रकारिता में हिन्दी भाषियों के लिए कई तरह की संभावनाएं हैं। हिन्दी अखबार और समाचार चैनल का कार्यक्षेत्र देश और देश की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में हिन्दी जानने वालों की मांग हमेशा रही है। इसके अलावा हिन्दी समाचार पोर्टल, समाचार यूट्यूब चैनल, प्रकाशन, लेखन आदि में हिन्दी की मांग रही है। एफएम रेडियो की लोकप्रियता के साथ इस क्षेत्र में हिन्दी की मांग बढ़ी है।

ऑनलाइन लेखन:- इंटरनेट के इस युग में ऑनलाइन जॉब की मांग बढ़ी है। ऐसे में घर बैठे हिन्दी में लेखन कर पैसा कमा सकते हैं। अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए कहानियां, कविताएं, रचनाएं, लेखन, लेखों का संपादन, प्रूफ रीडिंग, निबंध, विज्ञापन, शोध पत्र, स्क्रिप्ट आदि लिख सकते हैं। इंटरनेट पर इस प्रकार की जॉब के लिए अनेक नौकरी वेबसाइट्स जहां रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए कई वेबसाइट पर सीधे आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अनेक संगठन, संस्थाएं, सियासी पार्टियां अपने यहां सोशल मीडिया के लिए कंटेन्ट लेखकों की मांग करती है। इनमें हिन्दी भाषा के लेखकों की भी मांग होती है।

सरकारी नौकरी:- हर तरह की सरकारी नौकरियों में हिन्दी की मांग है। हिन्दी विषय से बीए अथवा एमए करने के बाद केन्द्रीय, राज्यों की सेवाओं, एसएससी, पीएसयू आदि में आवेदन कर सकते हैं। बीएड करने के बाद हिन्दी शिक्षक के रूप में अपना करियर चुन सकते हैं। देश भर में किसी भी प्राईवेट या सरकार सकूल में हिन्दी विषय के शिक्षकों की हमेशा मांग रहती है। अगर बीएड नहीं है तो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके निजी स्कूलों में हिन्दी भाषा के शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरूआत कर सकते हैं।

हिन्दी में स्क्रिप्ट राइटिंग:- टीवी और फिल्म जगत में हिन्दी में लेखन कार्य करने वालों की मांग रही है। यहां टीवी सीरियल, फिल्मों के लिए कहानी, संवाद लेखन में करियर बना सकते हैं। इसके लिए किसी संस्थान से स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना आगे के करियर के लिए सहायक हो सकता है। आजकल तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी फिल्म और टीवी सीरियल बनने लगे हैं।

अनुवादक:- हिन्दी भाषा में अनुवादकों की बहुत मांग है। शर्त यह है कि इसके साथ कोई और भाषा आती हो। सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयों में आधिकारिक दस्तावेजों, कानूनी दस्तावेजों, लेखों, पुस्तकों आदि का अनुवाद होता है। इसके लिए इन स्थानों पर अनुवादक रखे जाते हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं, प्रकाशनों, एनजीओ, प्रोडक्शन हाउस, और पत्र-पत्रिकाओं में अनुवादक के रूप में करियर बना सकते हैं। यहां तक की फ्रीलांस या ऑनलाइन अनुवादक के रूप में काम कर सकते हैं।

इसके अलावा भी इस क्षेत्र में अनेक तरह की संभावनाएं। अपनी योग्यता को निखारने के लिए कई तरह के डिप्लोमा कोर्स भी हैं। करियर के चुनाव के अनुसार डिप्लोमा कार्स कर लेने से न सिर्फ योग्यता में निखार आता है बल्कि नौकरी मिलने में आसानी होती है।

रिपोर्ताज़

ओल्ड ब्यॉय समिट

राशिद अनवर
अररिया, बिहार

बिहार के प्राचीन एवं ऐतिहासिक शहर राजगीर में छात्र संगठन एस आई ओ ऑफ इंडिया, बिहार के पूर्व कार्यकर्ताओं का समागम होने जा रहा था, प्रदेश भर के ओल्ड बॉयज़ कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। कोई 400 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर की यात्रा कर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हो रहा था। पूर्वोत्तर बिहार के अररिया शहर से हमारी पांच लोगों की मित्र मंडली भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हफ्तों से तैयार थी. रात्रि 9:00 बजे हम लोगों ने यात्रा शुरू की. एसीकृत सुसज्जित बस, फोरलेन नेशनल हाईवे - 57 पर फर्राटे भरती हुई पटना की ओर चल पड़ी. इधर पूर्व में आयोजित कार्यक्रम की पुरानी यादें भूले बिसरे गीतों के समान एक के बाद एक दिमाग में रिप्ले हो रही थीं. पिछले चार-पांच वर्षों से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर नहीं मिला था. अत: दिल में कुछ ज्यादा ही जिज्ञासा एवं कोतुहल पैदा हो रहे थे. कुछ पुराने भाषण के अंश, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृश्य, कुछ खाने पीने की यादें, दोस्तों से मुलाकात एवं खेलकूद के दृश्य बिल्कुल नॉस्टैल्जियाई अंदाज में दिमाग में घूम रहे थे. सोचते सोचते हम कब नींद की आग़ोश में पहुंच गए पता ही नही चला. सुबह पटना-पटना की आवाज़ से नींद खुली, झट नीचे उतरा. यह मीठापुर बस स्टैंड पटना है. यहां कुछ भी मीठा नहीं है सिर्फ शोर ही शोर.. समस्तीपुर .... मुज़फ्फरपुर .... दरभंगा ... मोतिहारी ..... हाजीपुर ... सीतामढ़ी का मंत्रोच्चार..हॉर्न की कानफाड़ू आवाज़.. यदि कभी ध्वनि प्रदूषण पर फील्ड ट्रिप करना,कराना हो तो छात्रों, दोस्तों के साथ मीठापुर पहुंच जाइए, इससे अधिक आदर्श स्थान आपको शायद ना मिले. ख़ैर, मंज़िल की तरफ जाने वाली बस के कंडक्टर ने आवाज लगाना शुरू कर दिया था, बिहार ..... बिहार ..... बिहार अर्थात बिहार शरीफ यानी नालंदा ज़िला. हमारी टीम गाड़ी पर सवार राजगीर की ओर चल पड़ी, लेकिन यह क्या! थोड़ी थोड़ी दूरी पर घंटों जाम ही जाम. बस यात्रा का सबसे दुखद पहलू यही है. यही वजह है कि मैं बसों के बजाय ट्रेन को प्राथमिकता देता हूं.

कार्यक्रम राजगीर शहर के एक कैथोलिक चर्च में आयोजित हो रहा था.. ये बड़ी अनूठी और खुशगवार बात थी कि एक इस्लामी संगठन का कार्यक्रम कैथोलिक चर्च में.. चर्च के ज़िम्मेदारों और कार्यकर्ताओं का सहयोग और भी सुखद था। यात्रा लंबी होने के कारण हम लोग शारीरिक रूप से काफी थक चुके थे



लेकिन यदि आपके इरादे नेक, मंशा साफ एवं निय्यत पवित्र हों तो गणतव्य तक पहुंच कर कभी कभी थकान मुस्कान में परिवर्तित हो जाती है. हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही था. कार्यक्रम एजेंडे के अनुसार ठीक समय पर शुरू हो चुका था, जैसी एस आई ओ की खूबसूरत परम्परा रही है. बिल्कुल पिछले कार्यक्रमों की ही भांति सब चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हों, अतीत की यादें स्वस्फूर्त आती जा रही थीं, वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसका सुखद अनुभव आज हो रहा था. कार्यक्रम के दौरान एस आई ओ के चीफ़ पैटरन महोदय का भाषण निश्चित रूप से मंत्र मुग्ध करने वाला एवं प्रेरणादायक था, उनके शब्दों का चयन,वाक्यों का प्रयोग एवं भाव भंगिमांए किसी सांस्कृतिक समारोह के वीणा वादन का सुखद अनुभव करा रही थीं, जिसे श्रोतागण शांतिपूर्ण मगर उत्सुकतावश पूरा ध्यान केंद्रित कर सुन रहे थे. नमाज़ों और चाय के अंतराल में कई पुराने दोस्तों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से मिलने का अवसर मिला, कुछ पुराने मित्रों के बाल एवं दाढ़ी सफेद हो रहे थे, कुछ ओल्ड ब्वॉयज़ अधेड़ हो गए थे, कुछ मोटे हो रहे थे, किन्हीं की तोंद निकल आई थी तो कई पारिवारिक उलझनों के ज़िक्र में व्यस्त थे, वहीं कई दोस्त ताज़ा दम भी नज़र आये. यहां पर वैचारिक समानता के बावजूद व्यक्तिगत भिन्नता बल्कि विशिष्टता कहिए, स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी.

दोपहर भोजन के पश्चात शहर भ्रमण का भी अवसर मिला. राजगीर काफी ऐतिहासिक शहर है. यहां अजातशत्रु का जेल, वेणु वन, ठंडे जल कुंड, मकबरा एवं शांति स्तूप स्थित हैं. शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए पहाड़ी के दामन में टावर स्थापित कर ट्रॉलियां लगाई गई हैं जिस पर सवार होकर लोग स्तूप दर्शन करते हैं. यह एक टूरिस्ट स्थल है, शांतिस्तूप तक ट्रॉली द्वारा पहुंचना भी एक सुखद अनुभव है. जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं ऐसा महसूस होता है कि जीवन मृत्यु की एक कड़ी है. बीच-बीच में ट्राली पर लगने वाला झटका भी जीवन के दुखों की याद दिलाता है. स्तूप लगभग 2400 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है. उतनी ऊंचाई से नीचे की चीजें काफी तुच्छ एवं छोटी नजर आती है. कार्यक्रम में लेक्चर, विचारगोष्ठी के अतिरिक्त खुले सत्र में भी श्रोताओं की भागीदारी अच्छी रही. श्रोताओं के प्रश्नों के ज़िम्मेदारों द्वारा संतोषप्रद उत्तर, बहुत सी गलतफहमियां दूर कर रहे थे. ऐसे में एक ही दिन में वापसी निश्चित रूप से दुखदाई थी. एसे कार्यक्रम निश्चित रूप से बड़े सामाजिक आंदोलन के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करेंगे जो मुख्यधारा में शामिल होकर आंदोलन की धार को तेज़ करेंगे.

सफ़र है शर्त



शहबाज़ अंसारी
अल्जामिया शांतापुरम,केरला

केरल में रहते हुए...

केरल का नाम जैसे ही ज़ेहन से टकराता है,एक बेहद सुंदर स्थान की तस्वीर नज़रों के सामने गर्दिश करने लगती है। हरी चादर ताने,अरब सागर के साहिल पर फैली ये "ख़ुदा की अपनी बस्ती" लम्बे और ऊंचे कोहसारों से घिरी हुई है। यहाँ बहते पानी के चश्मे और नारियल के दरख्तों का कतारबद्ध सिलसिला यक़ीनन आंखों को रौशन और ज़हन को ताज़ा कर देने वाली ख़ूबसूरती अपने अंदर समोए हुवे है। ये केरल की ज़ाहिरी ख़ूबसूरती है। इस नगरी की असल खूबसूरती इसके बासी और वो तहज़ीब है जो इसे कई पहलुओं से बाकी भारत से अलग करती है। मैं 2010 में केरला शिक्षा प्राप्त करने आया था। चार साल यहाँ तालीम हासिल की। फिर 2019 से जॉब भी यहीं कर रहा हूँ। इस अर्से में मलयाली समुदाय को बहुत क़रीब से देखने और समझने का मौका मिला। मेरा ख़्याल है कि उत्तर भारत की हिंदी उर्दू पट्टी के लोगों को मलयाली समाज से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ हिंदुओं के अलावा, मुसलमान और ईसाईयों की भी उल्लेखनीय आबादी है मगर कभी मज़हब की बुनियाद पर झगड़े और फसाद नही होते हैं। इसके विपरीत लोग एक दूसरे के त्यौहारों, रिवाज और परंपरा का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। पिछले कुछ सालों में देश के अंदर हिन्दू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिशें तेज़ हुई हैं जिसके नतीजे में सैंकड़ों मासूमों की जान चली गई है। मगर केरल में इसका असर नही पड़ा है। यहाँ की फ़िज़ा में आसानी से ज़हर घोल पाना मुमकिन नज़र नही आता है। मुसलमानों में भी यहाँ कई ग्रुप पाए जाते हैं जिनमें ढेरों विरोधों के बावजूद धार्मिक -वैचारिक मामलात को लेकर कभी कोई टकराव सामने नही आता है और न किसी समूह के ख़िलाफ़ स्टेज से नफरत वाली बातें की जाती हैं। केरल की एक बड़ी ख़ूबी जिसकी वजह से मेरे जैसे लाखों ग़ैर मलयाली लोगों की नज़र में इसका मक़ाम बहुत बुलंद हो जाता है और जो इसे बाकी देश से बहुत अलग बनाती है, वो हैं यहाँ के नागरिकों के जीवन मे चलते फिरते नज़र आते नैतिक मूल्य। ग़ुस्से में चीख़ना चिल्लाना, गालम-गलौच या लड़ाई झगड़ा यहाँ देखने को नही मिलता है। लोग आमतौर पर बहुत शरीफ और सच्चे होते हैं। किसी को धोखा देने या छल, कपट करने का मिज़ाज यहाँ नही पाया जाता है। मानवीय संवेदनाओं का सुंदर एहसास जगह जगह और बार बार होता है। 2012 का एक खूबसूरत वाकिया याद आ रहा है। मैं अपने साथियों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। तुव्वूर नामी गंतव्य स्टेशन आया तो मैं अपना मोबाइल ट्रेन की सीट पर ही भूल कर बाहर आ गया।



लगभग आधे घंटे बाद हमने फ़ोन मिलाया ये सोचते हुए कि जिसको भी फ़ोन मिला होगा, उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होगा। मगर ऐसा सोचना ग़लत साबित हुआ। कॉल रिसीव की गई, जिस शख़्स ने कॉल रिसीव की उसने बताया कि मैं स्टेशन पर बैठा आपकी कॉल का ही इंतेज़ार कर रहा हूं। फिर उस आदमी ने टिकट काउंटर पर मोबाइल जमा करा दिया जहाँ से रात में वापसी के वक़्त हमे मोबाइल मिल गया। उस वक़्त मुझे मोबाइल के मिलने की ख़ुशी से ज़्यादा उस शख़्स पर हैरत थी जो स्टेशन पर मेरी कॉल का इंतेज़ार कर रहा था। मेरी हैरत वाजिब थी। मेरा संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है जहाँ औरतों के गले से चेन या रिक्शे में बैठे शख़्स के हाथों से मोबाइल छीन कर ले जाने की घटनाओं से अखबारों के पन्ने रोज़ ही भरे रहते हैं। केरल में रहते हुए एक और चीज़ जिसका बार बार तजरुबा होता है वह है यहाँ के लोगों में सामूहिक चेतना। यहाँ लोग अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। कोरोना को लेकर जितनी सतर्कता और एहतियात केरल में बरती गई, उसकी मिसाल पूरे देश मे कहीं नही मिल सकती है। इस वक़्त भी जब कि लगभग सभी जगहों पर बाहर से आने वाले किसी शख़्स को क्वारंटाइन नही किया जा रहा है, यहाँ केरल के बाहर से आने वाले मलयाली लोग ख़ुद को एक हफ्ता होम-क्वारंटाइन कर रहे हैं। बाज़ारों में बिना किसी सरकारी अहकाम के, लोग डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का अभी भी ख़्याल रख रहे हैं। घर के बाहर एक आदमी भी बिना मास्क के नज़र नही आता है। केरल के लोग अराजनैतिक नही होते हैं। सियासत में दिलचस्पी लेना, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना, ग़लत नीतियों और फैसलों पर सरकार को घेरना और जवाबदेह ठहराना इनकी आम गतिविधियों में शामिल है। ये लोग विभिन्न राजनीतिक खेमों से मज़बूती से जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं मगर इसके बावजूद लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के प्रति नफरत यहाँ नही पाई जाती है। आप अगर बाज़ार से गुज़र रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं तो ज़रूर कहीं न कहीं बहुत शालीनता, शांति और अनुशासित तरीके से रैली या विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग आप को मिल जाएंगे और कमाल की बात ये होती है कि इन रैलियों या

विरोध प्रदर्शनों के कारण सड़क जाम नही लगता है। केरल में रैलियों को देख कर आप को फौजी परेड की याद आ सकती है। भारत मे लाखों मज़दूर हैं जो अपना वतन या राज्य छोड़ कर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। केरल में अन्य राज्यों से आये, लगभग पचास लाख मज़दूर काम करते हैं। इनमें अधिकतर पश्चिमी बंगाल और असम के मज़दूर हैं। देशभर में सबसे अच्छा व्यवहार मजदूरों के साथ केरल में किया जाता है। ये सुनकर आप को आश्चर्य होगा कि यहाँ दूसरे राज्यों से आये हुए मज़दूरों को प्रवासी नही कहा जाता है बल्कि 'अतिथि श्रमिक' कहा जाता है। मज़दूरों के हित और कल्याण को सामने रखते हुए केरल सरकार ने 'आवाज़' बीमा शुरू किया है जिसके तहत श्रमिकों को यहाँ एक साल में तीस हज़ार रुपये का इलाज फ्री है। इसमें दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये का बीमा और शव को परिजनों तक पहुंचाना भी शामिल है। मानव प्रतिष्ठा की ऐसी मिसाल उत्तर भारत मे नही मिल सकती है। सही बात ये है कि केरल वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों के राज का राज्य है। केरल के मालाबार क्षेत्र में मस्जिदों की बड़ी संख्या है। यहाँ बड़ी और मझोली मस्जिदों के अलावा मुख्य सड़क के आस पास या किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसी छोटी मस्जिदें भी होती हैं जो ख़ास तौर से मुसाफिरों के लिए बनाई हुई हैं। यहाँ कोई भी मुसाफिर नमाज़ की ग़रज़ से आ सकता है, आराम कर सकता है या रात गुज़ार सकता है। इन मस्जिदों को रास्ते के करीब जिस तरह से तामीर किया गया है, ऐसा लगता है कि बाक़ायदा ये काम सरकार की सरपरस्ती में हुआ हो। ये किसी पुरानी मुस्लिम रियासत का मंजर मालूम पड़ता है जहाँ शहर में थोड़े थोड़े फासले पर सराय और मुसाफिरख़ाने बनाये जाते थे। केरल में मस्जिदें केवल नमाज़ के लिए ही इस्तेमाल नही होती हैं बल्कि ये मोहल्ले का मरकज़ होती है जहाँ दीनी कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी होती है। बच्चों की दीनी तालीम-व-तरबियत का ख़ास इंतेज़ाम होता है। केरल के मुस्लिम इलाकों में सुबह की नमाज़ के बाद आमतौर से एक खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां टोपी या स्कार्फ़ पहने, हाथों में क़ुरान और किताबें लिए मस्जिदों व स्थानीय मदरसों में क़ुरान एवं अरबी ज़बान सीखने जाते हैं। आठ बजे तक वापस आते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। हमारे उत्तर भारत में अगर इस प्रकार की कोई तब्दीली आ जाए और मस्जिदें समाज की दीनी व अख़लाक़ी तरबियत-गाह के साथ साथ बच्चों की तालीम-व-तरबियत और अरबी ज़बान पढ़ाने व सिखाने के केंद्र के रूप में विकसित हो जाएं तो नई नस्ल पर ये एक बड़ा एहसान होगा। मलयाली लोगों की आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से उत्तर भारतीयों से बेहतर नज़र आती है।यहां खाड़ी के देशों में जाकर काम करने का रुजहान ज़्यादा है। कोई घर शायद ऐसा न हो जहाँ से कोई एक आदमी विदेश में न हो। बड़े बड़े घर सूने पड़े रहते हैं। यहाँ बेशुमार लोग ऐसे हैं जो विदेश से करोड़ो रुपये कमा के लाते हैं मगर इनके बर्ताव व आचरण से अमीरी के घमंड की बू नही आती है। केरल शिफ्ट हो जाने के बाद 'बेकार' रहने के बजाए ये लोग ख़ुशी से ऑटो भी चलाते हैं। इसमे इनको शर्म महसूस नही होती है क्योंकि इनके नज़दीक कोई काम छोटा बड़ा नही है। इस संदर्भ में उत्तर भारत की स्थिति किसी से ढकी छुपी नही है।

केरल के बारे में जो बातें मैंने अपने अनुभव की रोशनी में प्रस्तुत की हैं उनका गहरा संबंध इस्लाम से है। छठी सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की आमद केरल से ही हुई है। त्रवंकोर के बादशाह चेरामन पेरूमल का इस्लाम क़ुबूल करना और केरल में भारत की पहली मस्जिद की तामीर का वर्णन इतिहास में दर्ज है। इसी तरह अरबों का यहाँ आकर तिजारत करने से भी मालाबारी और अरबों के बीच मज़बूत रिश्ता बना रहा। इसी वजह से केरल में पश्चिमी सभ्यता के मुक़ाबले में अरब कल्चर ज़्यादा विकसित हुआ है। आम लड़कियों का पहनावा भी यहाँ बहुत सभ्य और शालीन होता है। आज यहाँ जो मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक ख़ुशहाली एवं अम्न शांति नज़र आती है उसमें सब से बड़ा योगदान निस्संदेह इस्लाम का है।

देशभर में सबसे अच्छा व्यवहार मजदूरों के साथ केरल में किया जाता है। ये सुनकर आप को आश्चर्य होगा कि यहाँ दूसरे राज्यों से आये हुए मज़दूरों को प्रवासी नही कहा जाता है बल्कि 'अतिथि श्रमिक' कहा जाता है। मज़दूरों के हित और कल्याण को सामने रखते हुए केरल सरकार ने 'आवाज़' बीमा शुरू किया है जिसके तहत श्रमिकों को यहाँ एक साल में तीस हज़ार रुपये का इलाज फ्री है। इसमें दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये का बीमा और शव को परिजनों तक पहुंचाना भी शामिल है।

इस्लाम-परिचय के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें

वतनी लोगों को इस्लाम का परिचय कराने, उनकी भ्रांतियों व शंकाओं का निवारण करने के लिए शोबे दावत, जमाअते इस्लामी हिन्द के द्वारा तैयार की हुई निम्न पुस्तकें अत्यंत उपयोगी हैं

क्र.	शीर्षक	लेखक	मूल्य	पृष्ठ
1.	सच्चाई को जानो	जीलानी खान व अन्य	24	7/-
2.	कन्या-भ्रूण हत्या: समस्या और निवारण	डॉ. रज़िउल इस्लाम नदवी व अन्य	24	18/-
3.	इस्लाम के बारे में शंकाएं	मुहम्मद ज़ैनुल-आबिदीन मंसूरी	64	34/-
4.	मानव जीवन और परलोक	मुहम्मद ज़ैनुल-आबिदीन मंसूरी व अन्य	43	26/-
5.	ईश्दूतत्व की धारणा: विभिन्न धर्मों में	डॉ. मुहम्मद अहमद व अन्य	56	32/-
6.	ईसा मसीह और मरयम: कुरआन के दर्पण में	मुहम्मद ज़ैनुल-आबिदीन मंसूरी	56	32/-
7.	इस्लाम की सार्वभौमिक शिक्षाएं	डॉ. फ़रहत हुसैन	28	24/-
8.	एकेश्वरवाद की मौलिक धारणा	डॉ. मुहम्मद अहमद व अन्य	64	34/-
9.	स्त्री पुरुष में समानता की वास्तविकता	बुशरा सादिक़ा	32	20/-
10.	इस्लाम: दयालुतापूर्ण ईश्वरीय धर्म	डॉ. फ़रहत हुसैन	64	32/-
11.	सफलता और मुक्ति का एक ही रास्ता	मुहम्मद फ़ारूक़ खां व अन्य	48	28/-
12.	सर्वधर्म समभाव और इस्लाम धर्म	मुहम्मद फ़ारूक़ खां व अन्य	62	36/-
13.	ईश्वर एक है	मौलाना मुहम्मद यूसुफ इस्लाही	47	26/-
14.	पैग़म्बर (स.) की बातें	अब्दुर्रब करीमी	48	25/-
15.	सत्य धर्म की खोज	मुहम्मद इक़बाल मुल्ला	72	56/-
16.	क्या सभी धर्म समान हैं?	मुहम्मद इक़बाल मुल्ला	63	42/-
17.	क़ुरआन मजीद मार्गदर्शक किताब सबके लिए	मुहम्मद इक़बाल मुल्ला	104	75/-

नोट: यह पुस्तकें उर्दू और अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध हैं.

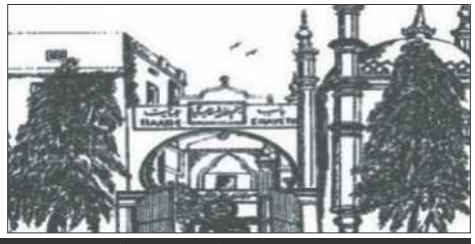
मिलने का पता: शोबे दावत, जमाअते इस्लामी हिन्द
डी-321, अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025

WhatsApp: 9650022638, ईमेल: dawah.jih@gmail.com
वेबसाईट: www.islamsabkeliye.com

ندائے یتیم

VOICE OF ORPHAN BOYS

یتیم خانہ اسلامیہ گیا
ایک نظر میں



دینی وعصری علوم کی اپنے طرز کی مشہور اقامتی (Residential) تعلیم گاہ

● 103 سالہ خدمات ● بہت سارے شعبہ جات ● تعلیمی مراحل درجہ اطفال تا میٹرک (Matric) ● شعبہ حفظ وناظرہ حفظ کے ساتھ ساتھ (میٹرک) بہار اسکول بورڈ اگزامینیشن ہر سال کا صد فیصد 100% رزلٹ ● فاصلاتی تعلیم I.A, B.A. M.A. (Distance Education) اور لائبریری سائنس (BLIS) میں 22-2021 کے سیشن کیلئے داخلہ جاری (اسٹڈی سنٹر یتیم خانہ اسلامیہ گیا) منظور شدہ: مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ● کمپیوٹر (Computer) کی بھی تعلیم ● کفالہ اسکیم کے تحت ایک یتیم طالب علم پر سالانہ خرچ بیس ہزار (Rs:20,000/-) روپے 70 یتیم طلباء جن کا سارا خرچ ادارہ ہی برداشت کرتا ہے۔ سالانہ خرچ 25 لاکھ روپے سے زائد ذریعہ آمدنی مسلم عوام کے چندے ● آپ جس شکل میں ممکن ہو تعاون فرما کر اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کریں۔ تعاون کی شکلیں: مثلاً ● زکوٰۃ ● عطیات ● صدقات ● پیداوار کی زکوٰۃ ● چرم قربانی ● ایک یتیم بچے کا سالانہ خرچ ● بینک (Bank) کے سود (Intrest) کی وہ رقم جو مسلمانوں کے لئے حرام ہے ● اپنے یا کسی بزرگ کے نام کمرہ ماہال بنوادیں وغیرہ۔

تین باتیں یاد رکھیں ❶ بینک کی وہ رقم جو بینک سے سود (Intrest) کے طور ملتی ہے جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے اس رقم کو غریب یتیم طلبا کی جہالت دور کرنے اور تعلیم پھیلانے کے لیے لڑکوں کے دارالیتامیٰ فنڈ میں دیں ❷ یہاں ہر سال آڈٹ (Audit) بھی کرایا جاتا ہے ❸ آپ ادارہ میں پہنچ کر مساوات کا مثالی اور عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح یتیم اور غیر یتیم بچے مل کر رہا کرتے ہیں۔

نوٹ عنایت آئی ٹی آئی (Enayeth I.T.I) کی دو منزلہ عمارت کھڑی ہوگی ہے۔ اور داخلہ جولائی 2018 سے (الیکٹریشین ٹریڈ ElectricianTrade) سے ہی شروع ہے۔ دوسرا ٹریڈ فیٹر (FITER) کا ہے۔ دونوں میں داخلہ 2022-2020 کے لئے جاری ہے۔ N.C.V.T (بھارت سرکار) سے منظور شدہ ہے۔

❷ پُرفضا مقام، پُرسکون ماحول، اسلامی لباس، اسلامی یونیفارم اور اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم خرچ میں بہار بورڈ کے نصاب کے ساتھ معیاری تعلیم۔ ❸ یتیم طلباء جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے ان کے قیام وطعام کے ساتھ ساتھ ایک بیٹے کی طرح یہاں ساری سہولت بالکل مفت دی جاتی ہے۔ ❹ بیرونی طلباء کے لئے اپنے خرچ پر ہاسٹل کا بھی نظم ہے۔ ❺ قوم کے معزز حضرات سے گزارش ہے کہ قوم کے یتیم بچوں کو ادارہ میں داخل کرانے کے لئے زحمت کریں اور توجہ دلائیں۔ ❻ عنایت (I.T.I) میں یتیم خانہ میں پڑھنے والے یتیم طلباء کا داخلہ، تعلیم مع طعام وقیام اور رہائش بالکل مفت ہے کوئی خرچ نہیں لیا جاتا ہے۔

ادارہ آپ سے فراخدلانہ تعاون کی اپیل کرتا ہے

آپ توجہ دیں: ملک میں لاک ڈاؤن (Lock Down) کی وجہ سے آپ کا یہ قدیم ادارہ مالی بحران میں مبتلا ہے۔ دشواریوں کا سامنا ہے۔ آمدنی گھٹ کر کم ہوگئی ہے۔ یہ سال ملک کے دینی اداروں کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہے۔

Foreign Donors غیر ملکی چندہ دھندگان

- A/C Name: "THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"
- BANK A/C NO: 300402010000187
- Bank Swift Code : UBININBBJAM or IFS Code No: UBIN 0530042
- BANK·UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

نوٹ باہر ملک کے حضرات اوپر لکھے ہوئے اکاؤنٹ نمبر پر اپنی رقم ڈالر، ریال اور پونڈ وغیرہ میں بھی بھیج سکتے ہیں

چیک وڈرافٹ پر صرف یہ لکھیں: "THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"

برائے رابطہ (خط، چیک وڈرافٹ اور منی آرڈر بھیجنے کا پتہ)

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
CHERKI - 824237,Distt: GAYA (BIHAR) INDIA

Indian Donors ہندوستانی چندہ دھندگان

- A/C.Name: "THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"
- BANK A/C NO: 300402010010581
- Bank IFS Code No: UBIN 0530042
- BANK: UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

نوٹ: ہندوستانی صوبوں اور باہر ملک میں رہنے والے حضرات ہندوستانی بینک کا چیک وڈرافٹ اور رقم ہندوستانی چندہ دہندگان والے اکاؤنٹ نمبر پر بھیجیں۔

Mobile: 09801213022, 09955655960
● E-mail: gmocde@yahoo.co.in / Website,:www.gmogaya.in

NOTE Documentary film—Nazr-e-Enayat جس میں دونوں یتیم خانہ (Boys & Girls) کی مختصر تاریخ ہے۔ انٹرنیٹ You-Tube پر دیکھیں۔

یاد رکھیں رقم کو رجسٹرنگ اور آن لائن On Line سے بھیجنے والے حضرات موبائل یا ای میل E-mail یا ڈاک سے مکمل پتہ بھیج دیا کریں تاکہ رقم کی رسید روانہ کی جاسکے۔

صدر ڈاکٹر فراست حسین — اعزازی ناظم ڈاکٹر زیڈ ایچ خان

आख़िरी पन्ना



शिबली अरसलान

उम्मीदों और हौसलों का मानसूनी सीज़न और ईश्वर से अगाध प्रेम का मस्ताना मौसम 'रमज़ान' की अग्रिम बधाई. महामारी और पोस्ट लॉकडाउन के इस शोकाकुल माहौल में रमज़ान उम्मीद और हौसलों के चिराग़ ले कर रोशन हुआ है. नवाज़िश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी.. रमज़ान क्या है? उम्मीदों का मौसम-ए-बहार...रमज़ान क्या है? नइ प्लानिंग और प्लानटिंग का सीज़न...रमज़ान क्या है? नए सौंदर्यबोध (Aesthetics) जगाने का वसन्त-उत्सव...रमज़ान क्या है? ख़ुदी और ख़ुदा के इरफान-ए-नौ का क़ीमती अवसर.. रमज़ान,आज की सबसे बड़ी मुसीबत नवपूंजीवादी ऊपभोक्तावाद से लड़ने का लम्बा और मज़बूत अवसर प्रदान करता है. रोज़े की हकीकत असल में त्याग है और ये त्याग,उपभोक्तावाद के ख़िलाफ़ सब से कारगर हथियार है..रोज़ा का बहुत सीधा व सादा पैग़ाम है, भौतिकता से थोड़ी दूरी.. खाना-पीना छोड़ने के प्रतीकात्मक त्याग द्वारा वास्तव में जीवन में बड़े त्याग का संदेश दिया गया है. खाना-पीना और जाएज़ ज़रूरी चाहतों को एक तयशुदा वक़्त तक छोड़ने का संदेश यही है कि जीवन में सब कुछ पाना और भरना नहीं होता,छोड़ना और त्याग ज़िन्दगी की बड़ी ख़ूबसूरती है. भौतिक तरक़्क़ी के गला-काट प्रतिस्पर्धा में हम ऐसी आपाधापी मचाते और धूल उड़ाते हैं कि जीवन का दार्शनिक-आध्यात्मिक सौन्दर्य धूमिल हो जाता है. ऐसे में रमज़ान ज़रा ठहर कर सोचने के लिए हर साल बड़ा क़ीमती अवसर प्रदान करता है. रोज़ा हमारी ज़िन्दगी में बहुत ही ख़ूबसूरत बाब का इज़ाफा करता है...'रुक जाना' रोज़े की रुह है..जाएज़ ज़रुरतों और ख़ाहिशों से रुक जाने की ये वन मंथ ट्रेनिंग,बाक़ी दिनों में हमें ज़रुरी और ग़ैर-ज़रुरी कामों की समझ तथा नाजाएज़ ख़ाहिशों से रुकने-बचने का हौसला देती है.ख़ाहिशों को सपने का नाम देकर,उसे हर क़ीमत पर पूरा करने के लिए गला-काट प्रतिस्पर्धा और आपाधापी, इस युग की पहचान है,इसने ज़िन्दगी को अत्यंत कुरुप और बदनुमा बना दिया है...ऐसे में 'रुक जाने और त्याग करने' का भाव कितना सुन्दर और माधुर्य भाव है...यदि रोज़े की ये Philosophical Aesthetics निगाहों के सामने ना हो तो महज़ भूखे-प्यासे रहना हिमाक़त है या कुछ लोगों के लिए शायद मेडिकल उपचार...किसी तरह चंद घंटे भूख-प्यास बर्दाश्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है. महज़ इसके अभ्यास के लिए रमज़ान नहीं आता. भूखे-प्यासे रहते हुए हम उन निगेटिव जज़्बों को कितना लगाम दे पाते हैं, जो एक ज़िम्मेदार संवेदनशील इंसान (मुत्तक़ी)बनने की राह में रुकावट हैं, इसका अभ्यास है रोज़ा..इसकी जांच के लिए आता है रमज़ान...इसलिए भूखे रहते हुए शऊर (चेतना) को बेदार रखना बहुत ज़रूरी है, बेहिस भूखे-प्यासे पड़े रहने और समय-गुज़ारी से कुछ हाथ नहीं आने वाला...इसलिए रसूलूल्लाह स0 ने फरमाया 'जिसने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं'.जब हम भूखे-प्यासे होते हैं तो हमारी रचनात्मकता और संवेदनशीलता बढ़ जाती है,थोड़े ध्यान के साथ अभ्यास करने से हम आसानी से रमज़ान का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. रमज़ान का लक्ष्य है-'तक़्वा'..तक़्वा यानी मुत्तक़ी इंसान की ख़ूबी....मुत्तक़ी यानी ख़ुदा का ज़िम्मेदार व संवेदनशील बंदा...बदकिस्मती से इस महीने में मुसलमानों में भौतिक हवस और झूठी शान के लिए लूट मची रहती है.पुर-तकल्लुफ इफ्तार व सेहरी के अलावा रमज़ान के आखिरी दिनों में ईद के नाम पर जिस तरह शहरों और विशेष तौर पर बड़े शहरों के मुसलमान बाज़ार के छलावे में फंस कर उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ में लग जाते हैं,इससे रमज़ान और रोज़ों की रूह ही निकल जाती है..अब रमज़ान, मुसलमानों का एक महोत्सव बन कर रह गया है. शॉपिंग का जोश व जुनून देख कर बाज़ार का तो मौजा ही मौजा हो जाता है. बाज़ार के षड्यंत्र के सामने हम नतमस्तक और धराशायी हैं.ज़ाहिर है इस माहौल में रमज़ान और रोज़ों से वांछित परिवर्तन कैसे मुम्किन है.यही वजह है कि रमज़ान आता है, जाता है मगर हमारी सोच और हमारे समाज में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता.

रमज़ान मुस्लिम समुदाय की Resilience(Ability to Recover)बढ़ाने के लिए आता है.अगर मुस्लिम समुदाय कुछ भी ताज़ा और रिकवर हो पाता है तो फिर हमारा रमज़ान कामयाब है. यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर विभिन्न मिल्ली-मज़हबी जमातों और संस्थाओं की इफ्तार पार्टियों और प्रोग्रामों पर गम्भीरतापूर्वक आत्ममंथन और अंतरावलोकन होना चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान अपनी-अपनी मज़हबी दुकान चमकाने का एक ज़रिया भर हो कर रह गया है..?

आओ उम्मीदों और हौसलों के इस मानसूनी सीज़न (रमज़ान) में नई दुनिया बसाने और उसके लिए संघर्ष करने का कोई नया ख़ूबसूरत सपना देखें....

خدا کی توفیق

''حقیقت یہ ہے کہ دین حق کی اشاعت و اقامت کے لئے اخلاص اور دلسوزی کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا کبھی فخر و غرور کا شکار نہیں ہوسکتا۔ اس کی نظر ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر ہوتی ہے اور جو کارنامہ انجام دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ اس کا کمال ہے بلکہ وہ اسے خدا کی توفیق اور اس کا فضل و کرم تصور کرتا ہے۔''

(داعیٔ اعظم محمد یوسف اصلاحی)

HindustanContainers

GoaGunnyTraders

GoaBarrelSuppliers

JayKeyPlastics

Dealing in all Industrial SCRAP Materials and all Industrial Plastic Materials, Granules and M-S Drums, Plastice Drums, Empty Plastice Bags etc.

Address:

S/2, Colvale Industrial Estate
Colvale, Mapusa - Goa

E-mails:

hindustancontainersrsk@gmail.com
goabarrelsuppliers@gmail.com
jaykayplastics@gmail.com

Mobiles No.

09822150083, 09822163063

KANTI Monthly, New Delhi
APRIL 2021
Posted on 20-21 March 2021
Published on 18 March 2021
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

مولانا مودودیؒ کا لٹریچر پڑھئے اور پڑھایئے!

ترجمان القرآن الکریم:
ترجمہ تفہیم القرآن کی آیت بہ آیت تقسیم مع لغات القرآن ومختصر حواشی، (مولانا مودودیؒ کی ہدایات کے مطابق) صفحات ۱۲۸۰، پہلی اشاعت اپریل ۲۰۱۰، دوسری اشاعت اکتوبر ۲۰۱۱، تیسری ڈیلکس اشاعت جولائی ۲۰۱۲ اور چوتھی اشاعت ۲۰۱۴

ذالک الکتاب: مکمل قرآن مجید کی مختصر ترجمانی وتفہیم رکوع بہ رکوع
صفحات ۳۲۰، پہلی اشاعت نومبر ۱۹۹۲، چھٹی اشاعت ملٹی کلر میں ستمبر ۲۰۱۲ میں منظر عام پر آچکی ہے۔

مقصد تخلیق انسان اور موجبات فلاح و موجبات خسران [قرآن حکیم کی روشنی میں]
(ماخوذ از تفہیم القرآن) اشاعت اول، اپریل ۲۰۱۳ مطابق جمادی الثانی ۱۴۳۴ھ (صفحات: ۴۵۰)

بیسوی صدی کا قائد اعلیٰ، سید ابوالاعلیٰ مودودی حیات وخدمات سال بہ سال کے آئینے میں
اشاعت اول فروری ۱۹۹۸، اشاعت سوم ۲۰۰۶

ترجمان القرآن الکریم وتفہیم القرآن العظیم
(۱) سورۃ الفاتحہ اور پارہ عمّ آیت بہ آیت ترجمانی مع لغات القرآن ومختصر اور مفصل حواشی مع حوالہ جات تفہیم القرآن جلد اول تا جلد ششم (مولانا مودودیؒ کی ہدایات کے مطابق) اشاعت اول، جون ۲۰۱۲، اشاعت دوم: مارچ ۲۰۱۴ (صفحات ۷۰۴)
(۲) پارہ ۲۹، آیت بہ آیت ترجمانی مع لغات القرآن ومختصر اور مفصل حواشی مع حوالہ جات تفہیم القرآن جلد اول تا جلد ششم (مولانا مودودیؒ کی ہدایات کے مطابق) اشاعت اول جولائی ۲۰۱۴ (صفحات ۵۸۴)
(۳) جزء ۲۸، مع سورۃ محمد اور سورۃ الحدید آیت بہ آیت ترجمانی ومختصر حواشی مع لغات القرآن اور مفصل حواشی مع حوالہ جات تفہیم القرآن جلد اول تا ششم (مولانا مودودیؒ کی ہدایت کے مطابق) اشاعت اول: اکتوبر ۲۰۱۴ (صفحات: ۶۸۸)

عصر حاضر کے قائد اعلیٰ ابوالاعلیٰ مودودی: حیات وخدمات ماہ وسال کے آئینے میں تقریباً ۷۵۰ صفحات پر مشتمل ایک تاریخی تصنیف۔ حصہ اول منظر عام پر آچکی ہے، حصہ دوم اور پوری کتاب کا انگریزی ترجمہ اشاعت کے مراحل میں ہے۔

سہ پارہ ترجمان القرآن الکریم: ترجمہ ومختصر تفہیم: مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ، مرتب: احمد ابوسعید
پارہ ۲۸ قد سمع اللہ، پارہ ۲۹ تبارک الذی، پارہ ۳۰ عمّ آیت بہ آیت ترجمانی ومختصر تفہیم مع لغات القرآن
صفحات: ۱۲۲۴ اشاعت: دسمبر ۲۰۱۵

شان پبلی کیشنز
8-3-229, Tahir Velley, Yusufguda Checkpost
Hyderabad - 500045 (Telangana)